Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

सत्यमेव जयते
Government of India

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

This Publication is available in electronic form at: www.nbaindia.org

Published by:

National Biodiversity Authority

5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113
Tel: +91-44-2254 1805 I Fax: +91-44-2254 1073
e-mail: chairman@nba.nic.in

Credits for All Natural Photos :
Dr. S. Rajesh Kumar

Disclaimer & Copy right

Copyright© National Biodiversity Authority

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted by any means, without prior written permission from the publisher. Any person involved in any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damage.

Published by NBA, 2020

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

सत्यमेव जयते
Government of India

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोज़गार
भारत सरकार

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR AND EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

l n'k

जैव विविधता एक बहु–विषयक विषय है जिसमें विविध गतिविधियाँ, पहल और कई हितधारक शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज संस्थान और नागरिक समाज संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और बड़े पैमाने पर जनता शामिल हैं। इसलिए, भारत की समृद्ध जैव विविधता और संबंधित ज्ञान का संरक्षण और सतत उपयोग एक सामूहिक प्रयास है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता से संबंधित मामलों से निपटने के लिए देश में स्थापित सर्वोच्च संस्था है। इस संबंध में, मुझे वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैंने संतोष की भावना के साथ नोट किया कि 2019–20 के अंत में कुल 2,49, 098 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन किया गया है और देश भर में 96, 593 पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार किए गए। गोवा, केरल और मध्य प्रदेश राज्यों ने अधिनियम की धारा 37 के अनुसार चार जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया है।

22 मई, 2019 को चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) का आयोजन घटनापूर्ण वर्ष मं शामिल था, जिसमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। एनबीए ने 27–28 नवंबर, 2019 को चेन्नई में एसबीबी की 14वीं वार्षिक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें 25 एसबीबी ने भाग लिया।

मुझे जन कल्याण के लिए प्रभावी और सार्थक तरीके से जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (ई–पीबीआर) तैयार करने जैसी एनबीए की नई पहलों को नोट करते हुए खुशी हो रही है। एक अन्य उल्लेखनीय पहल जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी) की स्थापना है।

मैं एनबीए, एसबीबी, यूटीबीसी, बीएमसी के साथ–साथ बड़ी संख्या में हितधारकों और पेशेवरों के प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से योगदान दिया था। मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट पर व्यापक ध्यान दिया जाएगा।

दिनांकः 10.02.2022

¼Hkwi Uæ ;kno½

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली–110003, फोनः 011–24695136, 24695132, फैक्सः 011–24695329
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 Tel.: 011-24695136, 24695132, Fax: 011-24695329
ई–मेल/E-mail: mefcc@gov.in

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः

एक कदम स्वच्छता की ओर

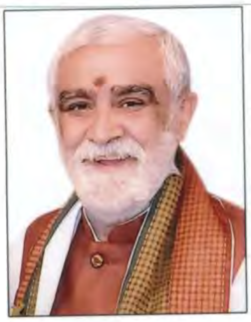

lns'k

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जिसे 2003 में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। एनबीए संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबन्धित मुद्दों पर भारत सरकार को सुविधाजनक, नियामक और सलाहकारी कार्य करता है।

एनबीए की वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अनुसार तैयार की गई है। रिपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सभी वैधानिक संस्थानों जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्रादिकरण , राज्य जैव विविधता बोर्ड, संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियों और उपलब्धियों को सामने लाती है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि प्राधिकरण की तीन बार बैठक हुई और अधिनियम, नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनबीए ने अधिनियम के तहत विनियमित गतिविधियों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच से संबंधित 288 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 521 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) है जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन के एबीएससीएच प्लेटफॉर्म में जारी और अपलोड किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट जैव विविधता के संरक्षण में शामिल सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगी।

¼vfÜouh dqekj pkScs½

कार्यालय : 5वां तल, आकश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-20819418, 011-20819421, फैक्स : 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
कार्यालय : कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23380630, फैक्स : 011-23380632
Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
निवास : 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड़, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-23794971, 23017049
Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

प्रस्तावना

सत्यमेव जयते
Government of India

भारत की तीन स्तरीय जैव विविधता शासन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने रिपोर्टिंग अवधि 2019-20 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा और जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई गतिविधियों का संचालन किया। एनबीए और विशेष रूप से पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) की विशेषज्ञ समिति द्वारा गठित सभी समितियों ने एबीएस आवेदन प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया, जिससे लाभ साझाकरण, अग्रिम भुगतान और रॉयल्टी के कारण रू. 4.36 करोड़ जमा के रूप में प्रोद्भूत हुए और एनबीए ने 2019-20 के दौरान 521 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) भी प्राप्त किया।

एनबीए ने 27-28 नवंबर, 2019 को राज्य जैव विविधता बोर्ड की 14 वीं वार्षिक बैठक चेन्नई में आयोजित किया, जिसमें 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जैविक विविधता अधिनियम, 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा / समीक्षा किया। बैठक में जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में प्रगति पर भी चर्चा की गई, जिसके लिए प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने जैव विविधता सहयोगी से तकनीकी सहायता के साथ एनबीए को जिम्मेदारी सौंपी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) मनाया गया, जिसमें भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आईडीबी-2019 का विषय था 'हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य '।

मैं बडी संख्या में हितधारकों, पेशेवरों और विशेषकर एमओईएफ़सीसी और राज्य वन विभागों, अध्यक्षों एवं विभिन्न समितियों के सदस्यों द्वारा दिये गये निरंतर मार्गदर्शन तथा समर्थन को एनबीए की ओर से गहरी प्रशंसा एवं कृतज्ञता के साथ रिकार्ड करना चाहूंगा, जिसने एनबीए को अपने अधिदेश और सौंपे गये गए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाया। मैं एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनबीए को आगे ले जाने के उनके व्यापक प्रयासों के लिए भी अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहूंगा।

मैं वर्ष 2019-20 के अवधि की एनबीए की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षा की गई रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष रखता हूं।

(डॉ. वि.बि. माथुर)
अध्यक्ष, एनबीए

अभिस्वीकृति

सत्यमेव जयते
Government of India

जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार संकलित की गई है। रिपोर्ट में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये एनबीए की गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में राज्य जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

मैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करता हूं। वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रेरणा और समर्थन के स्रोत रहे हैं।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की गतिविधियों के लिए निरंतर समर्थन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने और विभिन्न परियोजना आधारित गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए एनबीए को दिये गये मार्गदर्शन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भी धन्यवाद देता हूं। मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को धन्यवाद देता हूं जो एनबीए सचिवालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य सहायता और सलाह प्रदान करते रहे हैं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट के संकलन में राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की पूरक भूमिका के लिए आभार के व्यक्त करता हूं। मैं एनबीए की एक विस्तृत लेखा परीक्षा करने और एक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षा (वैज्ञानिक ऑडिट) के प्रधान निदेशक को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने और प्रकाशित करने के लिये किये गये प्रयासों की तहे दिल से सराहना करता हूं।

जे. जस्टिन मोहन
सचिव, एनबीए

अंतर्वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	9
1	परिचय	13
2	प्राधिकरण का गठन और कार्य, संबंधित सांविधिक निकाय	15
3	प्राधिकरण की बैठकें.	19
4	प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां और उनकी गतिविधियां	21
5	जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित तथा समान लाभ साझा करने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना	23
6	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4, और 6 में उल्लिखित गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।	25
7	आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किये गये उपाय	27
8	जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति	29
9	बौद्धिक संपदा अधिकार और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 से संबंधित जागरूकता; और सार्वजनिक भागीदारी	31
10	जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38 और 64 के तहत विनियम जारी किए गए	37
11	वित्त एवं लेखा	39
12	वार्षिक योजना 2019-20	43
13	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण –जीईएफ़ की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	45
	अनुलग्नक	
	1 प्राधिकरण के सदस्य	59
	2 संगठन चार्ट	61
	3. भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	62
	4. सिटिजन चार्टर	63
	5. लेखा परीक्षा रिपोर्ट	66

कार्यकारी सारांश

जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की जैविक परिवर्तनशीलता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाती है जहां प्रत्येक प्रजाति, हालांकि छोटी होती है, उस प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह की जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करती है। यह सभी देशों की प्रमुख नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सभी देशों से तत्काल ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है। रियो डी जनेरियो में आयोजित 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण, 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी '(CBD) को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान पर्यावरण और विकास (UNCED) के संरक्षण, जैविक विविधता के लाभों के साझाकरण, स्थायी उपयोग और निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (बीडी) अधिनियम लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना का गठन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) स्थापित किया गया था जो शीर्ष स्थान पर है और जिसका मुख्यालय चेन्नई में है तथा बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी के रूप में लागू करता है। दूसरी और तीसरी श्रेणी में राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) गठित हैं और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित हैं।

एनबीए जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए गतिविधियों और दिशानिर्देशों को नियंत्रित करता है और जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

एनबीए, भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में एक समर्पित और लक्ष्य उन्मुख योजना का पालन कर रहा है। रिपोर्टिंग अवधि 2019-20 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और यहाँ संक्षिप्त रूप से वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

प्राधिकरण ने 2019-20 की अवधि के दौरान, तीन बार बैठकें की और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और लागू करने के लिए एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया और सलाह दी।

एनबीए ने तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया. नामत: - पहुंच और लाभ साझाकरण पर विशेषज्ञ समिति (EC on ABS); अधिनियम की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के लिए पात्रता शर्तों / मापदंडों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति और जैव विविधता अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति जो इनमें आवश्यक परिवर्तन और संशोधन प्रस्तावित करती है।

एबीएस पर विशेषज्ञ समिति ने पांच बार बैठक किया और एमओईएफ़&सीसी द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के तहत आने वाले आवेदनों सहित प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए सिफारिशें दीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अनुसंधान / वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों की पहुंच के संबंध में 900 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस दौरान कुल मिलाकर 288 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीए को लाभ के बंटवारे के रूप में, अग्रिम भुगतान, रॉयल्टी आदि के रूप में रू. 4,03,77,177 की राशि प्राप्त हुई। चूंकि भारत नागोया प्रोटोकॉल की एक पार्टी है, वर्ष 2019-20 के दौरान एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में 521 अनुमोदित स्वीकृतियों का विवरण अपलोड किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लेंट्स (आईआरसीसी) का निर्माण करता है।

बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना और स्थानीय स्तर पर राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन करके शुरू किया गया था। 29 एसबीबी में से, अब तक 26 एसबीबी ने अपने राज्य नियमों को अधिसूचित किया है। 2019-2020 के अंत में, 2,49,098 बीएमसी का गठन किया गया है और देश भर में 96,593 पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, चार जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत गोवा, केरल और मध्य प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया है। संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के घटक, पीयर टू पीयर लर्निंग एक्सचेंज विज़िट, ज्ञान सामग्री का मुद्रण और प्रसार के लिएवर्ष 2019-20 के दौरान संबंधित राज्यों के लिए थमैटिक एक्सपर्ट कमेटी के गठन और वेबसाइट रखरखाव के लिये एनबीए ने लगभग सभी एसबीबी को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है। समीक्षा की अवधि के दौरान, एसबीबी की क्षेत्रीय बैठकें राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर सामना की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर बातचीत और समझने के लिए बुलाई गई थीं।

राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBB) और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की 14 वीं राष्ट्रीय बैठक 27 - 28 नवंबर, 2019 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक में 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 25 एसबीबी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के विशेष आमंत्रित सदस्य और परियोजना भागीदारों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMCs) की स्थापना और पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टरों (PBR) की तैयारी पर विशेष जोर देने के साथ जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली से आदेश प्राप्त हुआ।

बैठक में एसबीबी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (ई-पीबीआरएस) के निर्माण और जैव संसाधनों और इससे जुड़े ज्ञान को, आम लोगों के कल्याण से जोडने के अलावा, प्रभावी और सार्थक तरीके से

जोड़ने के लिए प्रस्तावित ढांचे को लागू करने की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा, बैठक में जैव विविधता और मानव कल्याण पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा हुई, जो विज्ञान, नीति और समाज के ध्यान में सबसे आगे जैव विविधता और संरक्षण लाने के लिए है। बैठक में जैविक विविधता अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को लाने में अब तक हुई प्रगति की भी जांच की गई। एनबीए के परियोजना भागीदारों ने इस अवसर पर सभी सहयोगी परियोजनाओं के परिणामों और प्रमुख वितरणों को साझा किया।

एनबीए ने अपनी प्रस्तावित जांच समिति (पीएससी) की सिफारिश के अंतर्गत विश्वविद्यालयों / कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए गए जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रकाशनों, दस्तावेजों का भी समर्थन किया है।

22 मई को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDB) के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर जैविक विविधता उत्सव का आयोजन विभिन्न हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ चेन्नई के कलाईवनार आरंगम में किया गया। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC), भारत सरकार द्वारा एनबीए के साथ समन्वय में और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

आईडीबी का विषय था -"हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य", जो खाद्य और स्वास्थ्य की नींव के रूप में जैव विविधता पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य जैव विविधता के लिए ज्ञान और हमारे खाद्य प्रणालियों, पोषण और स्वास्थ्य की निर्भरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता फैलाना है। आईडीबी 2019 के विषय का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में, समय के साथ विकसित हुई पारंपरिक खाद्य प्रणालियाँ अधिक स्वस्थ, अधिक संतुलित और पौष्टिक साबित हुई हैं। उन्होंने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से श्रोताओं के ध्यान में लाया कि मानव कार्यों के कारण प्रकृति मुसीबत में है। उन्होंने सभी से जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया, जो कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आयोजन के दौरान, उपराष्ट्रपति ने "भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना: एक अवलोकन" 2019, और जैव विविधता वित्त योजना 'और अन्य संचार सामग्री पर दस्तावेजों को जारी किया। श्रृंखला में पाँचवीं, काल फ़ार भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020 भी एक विवरणिका और पोस्टर के रिलीज के माध्यम से लॉन्च की गई।

इस आयोजन में श्री अनिल कुमार जैन, अतिरिक्त सचिव एमओईएफ और सीसी और अध्यक्ष, एनबीए की भी उपस्थिति थी; श्री हंस राज वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार; और श्री शंभू कल्लोलिकर, प्रमुख सचिव, तमिलनाडु सरकार भी उपस्थित थे। एमओईएफ और सीसी, एनबीए, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों के अधिकारी और वैज्ञानिक, सिविल सोसायटी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, छात्र, स्थानीय समुदाय, महिला विकास समितियाँ, और जैव विविधता के प्रति उत्साही लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य और केंद्र सरकारों के 30 से अधिक संस्थानों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम स्थल पर एक विषयगत प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में भोजन और स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता की भूमिका पर प्रकाश डालने वाले दिलचस्प प्रदर्शन, पोस्टर और अन्य ज्ञान उत्पादों को दर्शाया गया।

एनबीए द्वारा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण दिन थे- एनबीए का 16 वां स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी दिवस, सतर्कता सप्ताह इत्यादि। इस अवधि के दौरान, एनबीए ने जैवविविधता संरक्षण और पुरस्कृत जैव विविधता संरक्षणकर्ताओं के संरक्षण के महत्व के बारे में शोधकर्ताओं, छात्रों, वैज्ञानिकों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के लिये विभिन्न प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया और इसमें भाग लिया।

वर्ष 2019-20 की इस वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 का वार्षिक लेखा और वर्ष 2021-21 की वार्षिक योजना भी शामिल है।

परिचय

भारत की अनूठी स्थलाकृतिक विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों और स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध करती हैं जो समृद्ध जैव विविधता को समाहित करती हैं। भारत दुनिया के 17 मेगा जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत पारंपरिक फसल किस्मों का एक स्रोत है जो फसल पौधों की विविधता के 12 क्षेत्रों और कृषि प्रजातियों के योगदान में सातवें स्थान पर है। बायोग्राफिकल रूप से, भारत एफ्रो-ट्रॉपिकल, इंडो-मलायन और पैलियो-आर्कटिक स्थानों के त्रि-जंक्शन पर स्थित है। अब तक, देश में 91,200 से अधिक पशु और 45,500 पौधों की प्रजातियों को प्रलेखित किया गया है। प्रलेखित पौधों की प्रजातियों में से, 47 परिवारों से संबंधित फूल पौधों की 4,900 प्रजातियों में, 141 पीढ़ी स्थानिकमारी वाले हैं और मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केंद्रित हैं। भारत इस तथ्य से भी समृद्ध है कि इस तथ्य से उदाहरण के लिए कि लगभग 62 प्रतिशत उभयचर प्रजातियां भारत में स्थानिक हैं, उनमें से अधिकांश पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। विश्व स्तर पर, भारत में फसल पौधों की उत्पत्ति और विविधता के लिए आठवां स्थान है क्योंकि इसमें 300 से अधिक जंगली पूर्वजों और खेती के पौधों के करीबी रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। निरंतर सर्वेक्षण और अन्वेषण के माध्यम से पुष्प और पशु विविधता दोनों की सूची उत्तरोत्तर नई प्रजातियों की कई खोजों के साथ अद्यतन की जा रही है। स्वदेशी स्वास्थ्य प्रथाओं में लगभग 9,500 पौधों की प्रजातियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है और 3,900 से अधिक पौधों की प्रजातियों का उपयोग स्थानीय और स्वदेशी लोगों द्वारा भोजन, फाइबर, चारा, कीटनाशक और कीटनाशक, गोंद, रेजिन, रंजक, इत्र और लकड़ी के रूप में किया जाता है।

जैविक संसाधन लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत जैसे देश में, जहां जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी आर्थिक जीविका के लिए स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर निर्भर है और जहां जैव-संसाधनों का उपयोग करने वाले पारंपरिक उपचार अभी भी पनपते हैं। हालांकि, भारत की बढ़ती आबादी, तेजी से आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर भारी दबाव है। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन होता है, जो पारिस्थितिकी और इसके निवासियों को बदल देता है और लाखों लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जैविक विविधता के इस अभूतपूर्व नुकसान के फ़लस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन और कंवेंशन आयोजित हुए जिनमें जैविक संसाधनों की कमी पर चिंता व्यक्त की गई।

इससे 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण की तैयारी की गई, जिसका शीर्षक है जैव विविधता पर कन्वेंशन। यह रियो डी जनेरियो में संरक्षण, स्थायी उपयोग और जैव विविधता के निष्पक्ष लाभों के न्यायसंगत साझाकरण के लिये पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के दौरान किया गया। नतीजतन, भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (बीडी) अधिनियम को लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा बनाया गया. इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत 2003 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरज़्ण (एनबीए) की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और राष्ट्रीय स्तर पर बीडी अधिनियम को लागू करने के लिये शीर्ष स्थान पर है. 29 राज्यों में स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), राज्य स्तर पर संचालित होता है और जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) अधिनियम की धारा 41 के अनुसार स्थानीय निकाय में बनाई जाती है और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आती है। एनबीए भारत सरकार को जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और समान बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। यह जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए गतिविधियों और दिशानिर्देशों को भी विनियमित करता है। इसी तरह, एसबीबी जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों को सलाह देता है। बीएमसी जैविक विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निवासों का संरक्षण, भूमि दौड़, लोक किस्मों और खेती के संरक्षण, घरेलू स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लों के अलावा जैविक विविधता से संबंधित क्रमवार ज्ञान शामिल है।

प्राधिकरण के संविधान और कार्य, संबंधित सांविधिक निकाय

2.1 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

2.1.1 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ए) के तहत नियुक्त अध्यक्ष

श्री एके. जैन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव एमओईएफ और सीसी 31 अगस्त, 2019 तक अध्यक्ष थे और डॉ. वि.बि. माथुर, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्होंने पूर्व में भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया था, वे 1 सितंबर, 2019 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले। डॉ. वि. बि. माथुर संरक्षित क्षेत्रों (डब्ल्यूसीपीए-दक्षिण एशिया) पर आईयूसीएन-विश्व आयोग के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट (आईएआईए) के सदस्य हैं। वह UN-CBD और UN-IPBES के ब्यूरो सदस्य भी हैं।

2.1.2 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (बी) के तहत नियुक्त एमओईएफ और सीसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्य\

केंद्र सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें से दो एमओईएफ और सीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं- अपर वन महानिदेशक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव, और एक संयुक्त सचिव के रैंक का या समकक्ष का एक अधिकारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.1.3 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के तहत नियुक्त अन्य पदेन सदस्य

केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी के पद पर सात अन्य पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वे निम्नलिखित विषयों पर कार्य करते हैं:

I कृषि अनुसंधान और शिक्षा

ii जैव प्रौद्योगिकी

iii महासागरीय विकास

iv कृषि और सहकारिता

v. चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय पद्धति

vii विज्ञान और प्रौद्योगिकी

viii वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

2.1.4 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (डी) के तहत नियुक्त गैर-आधिकारिक सदस्य

पांच गैर-आधिकारिक सदस्यों को वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षणवादियों और ज्ञान के बीच चुना जाता है- जैविक संसाधनों के धारक जैविक संसाधनों के संरक्षण संबंधी मामलों, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग में अनुभव प्राप्त और जैविक संसाधनों से उत्पन्न लाभों के समान सझाकरण में ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना नीचे तालिका 1 में दी गई है।

तालिका-1 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य

क्रमांक		पदेन सदस्य
1	संयुक्त सचिव या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में भारत सरकार के समकक्ष पद के अधिकारी	श्री। सुशील मोहन सहाय, IFS, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कमरा क्रमांक। 736, ए-विंग, 7 वीं मंजिल, शास्त्रीभवन, नई दिल्ली - 110 001।
2	अतिरिक्त महानिदेशक (वन) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	डॉ। अनिल कुमार, आईएफएस अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110 003
3	भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में इस विषय पर काम करने वाले संयुक्त सचिव	डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण, जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110 003।

क्रमांक		पदेन सदस्य
4	संयुक्त सचिव या कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	संयुक्त सचिव (बीज), कृषि और सहकारिता विभाग, कमरा क्रमांक। 244, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली -110 001।
5	संयुक्त सचिव या जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	डॉ. रेणु स्वरूप, वरिष्ठ सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2 लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	संयुक्त सचिव या महासागर विकास विभाग में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	डॉ. आर. किरुबगरन, वैज्ञानिक जी, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वेलाचेरी-तांबरम मेन रोड, नारायणपुरम, पल्लीकरणै, चेन्नई - 600100
7	संयुक्त सचिव या कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), फसल विज्ञान विभाग, आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली -110 001
8	भारत सरकार के चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष सचिव	श्रीमती शोमिता विश्वास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली -110 023
9	संयुक्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	डॉ संजय कुमार, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरसोर्स टेक्नोलॉजी, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर हिमाचल प्रदेश - 176 061
10	संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय पर कार्य करने वाला भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. बी.के. शुक्ला, वैज्ञानिक जी, प्रमुख नियोजन, समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली - 110 016

क्रमांक	गैर आधिकारिक सदस्य
1	डॉ. परिमल चंद्र भट्टाचार्जी, ए / 3 आसियाना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मेलगाँव, गौहाटी - 781011, असम
2	डा.योगेश शौचे, वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नेशनल सेंटर फ़ार सेल साइंस जैव प्रौद्योगिकी लैब विभागद्र, पुणे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड, गणेशखिंड, पुणे, महाराष्ट्र - 411007
3	श्री दर्शन शंकर, कुलाधिपति ट्रांस अनुशासनात्मक विश्वविद्यालय केयर आफ़ स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के पुनर्जीवन का फाउंडेशन (एफआरएलएचटी) # 74/2, जराकबांडे कवल, पोस्ट अट्टूर वाया येलहंका , बैंगलोर - 560 064
4	डॉ. दिनेश मिश्रा, नंबर 65, सेक्टर 8 गांधी नगर, गुजरात -382008
5	प्रो. उमेश राय, निदेशक, साउथ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय, कमरा नंबर । 06, जूलॉजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007

2.2 एनबीए के कार्य

- जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना.

- बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच और निष्पक्ष और न्यायसंगत साझा करने के लिए गतिविधियों को जारी करना और दिशानिर्देश जारी करना। (जैविक संसाधनों और / या उपयोग के लिए संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों / नागरिकों / संगठनों को एनबीए की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है)।

- भारत से बाहर किसी भी जैविक संसाधन पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना या अवैध रूप से भारत से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान।

- राज्य सरकारों को जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन के लिए विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाने की सलाह देना।

- लोगों की जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

- जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

2.3 राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)

एसबीबी राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित की जाती हैं। एनबीए केंद्र शासित प्रदेशों में एक एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का अभ्यास करता है। एनबीए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को अपनी सभी शक्तियों या कार्यों को सौंप सकता है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, पांच पदेन सदस्य होते हैं, जो संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पांच विशेषज्ञों को जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित अनुभव होता हैं।

2.3.1 एसबीबी के कार्य

- जैव संसाधनों के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देना।

- भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा, अनुरोध को विनियमित करना।

- अधिनियम के प्रावधानों या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

- करना।

2.4 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, क्षेत्राधिकार के अपने क्षेत्रों के भीतर स्थानीय निकाय जैविक विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएमसी का गठन कर सकते हैं जिसमें आवासों का संरक्षण, भूमि की दौड़, लोक किस्मों और किसानों का संरक्षण शामिल है। पशुओं और सूक्ष्मजीवों के घरेलू स्टॉक और नस्लों, और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का क्रैकिंग। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष होता है और स्थानीय निकाय द्वारा नामित छह व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ होती हैं और 18% अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की होती हैं। मार्च, 2020 के अनुसार पूरे भारत में 2,49,098 बीएमसी हैं।

2.4.1 बीएमसी के कार्य

- स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों (पीबीआरR) को तैयार करना, उसका रखरखाव और सत्यापन करना।

- सलाह अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या एनबीए द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर सलाह प्रदान करना।

- जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय वैद्य और चिकित्सा चिकित्सकों के बारे में डेटा बनाए रखना।

2.5 केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना।

- जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।

- राज्य सरकारों को जैव-विविधता से भरपूर आवासों के संरक्षण, अति प्रयोग, दुरुपयोग या उपेक्षा से बचाव के लिए तात्कालिक संशोधन करने के निर्देश जारी करना।

- जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग को प्रासंगिक क्षेत्रीय या पार-क्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करना। एनबीए द्वारा अनुशंसित जैविक विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और रक्षा करने के लिए प्रयास करना.

- पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोग / रिलीज के जोखिम या प्रतिकूल प्रभाव को प्रबंधित या नियंत्रित करना और जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच लिंक का अध्ययन करना।

- केंद्र सरकार, एनबीके के परामर्श से, क. खतरे के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को सूचित करें और उनके संग्रह, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिबंधित या विनियमित करें।

  ख. जैविक संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए रिपॉजिटरी के रूप में संस्थानों को नामित करें।

  ग. सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में कारोबार करने वाले कुछ जैविक संसाधनों की छूट दें।

- राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करती हैं, और सभी धरोहर स्थलों (केंद्र सरकार के परामर्श से) के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियमों को प्रभावित करती हैं और प्रभावित लोगों के पुनर्वास / पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करती हैं।

प्राधिकरण की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने तीन बार मुलाकात की और बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस अनुप्रयोगों पर विचार किया, और निर्णय दिए और एनबीए सचिवालय को सलाह दी। जिन एजेंडा पर चर्चा की गई और जिन बैठकों का आयोजन किया गया, उसके परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.1 53वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण (गवर्निंग बॉडी) की तिरपनवीं बैठक 22 मई को कलैवनर अरंगम के सम्मेलन कक्ष, चेन्नई में श्री अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ़& सीसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय, विचार-विमर्श और निर्णय निम्नलिखित थे:

- प्राधिकरण ने एबीएस, 2019 में 30 दिनों के लिए संशोधित (मसौदा) दिशानिर्देशों पर जनता की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया।
- प्राधिकरण ने एनबीए सचिवालय को चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ क्षेत्रीय स्तर की परामर्श बैठकें करने का निर्देश दिया, जिसमें एक महीने की अवधि के भीतर एबीएस के संशोधित ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर उनके विचारों / टिप्पणियों का पता लगाने के लिए सभी एसबीबी को शामिल किया गया।
- प्राधिकरण ने रेड सैंडर्स अनुप्रयोगों पर लिए गए निर्णयों पर विचार किया और उनकी पुष्टि की।
- प्राधिकरण ने फैसला किया कि रेड सैंडर्स तक पहुंच पर लाभ साझा करने के रूप में अर्जित ब्याज राशि को एनबीए द्वारा उनकी गतिविधियों जैसे जैव विविधता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- राज्य जैव विविधता बोर्डों को एनआईआरडी और पीआर के बजाय मास्टर ट्रेनर / प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण/ पीआरआई के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए आवश्यक धन दिया जा सकता है।
- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि बीएसआर और जेडएसआई सहित छात्रों और संबंधित संगठनों को शामिल करते हुए, और अधिक रणनीतिक तरीके से पीबीआर की तैयारी शुरू की जाए और शुरू में तालुका स्तर पर पीबीआर रखने के लिए गतिविधि को चरणबद्ध किया जाए।

3.2 54वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण की चौवनवीं बैठक 31 अक्टूबर, 2019 को डा. वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। पर्यावरण की अध्यक्षता में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के इंडस हॉल में आयोजित की गई थी।

बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर विचार-विमर्श किया गया, और निर्णय लिया गया वे इस प्रकार थे-

- प्राधिकरण ने एबीएस पर 55 वीं ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- प्राधिकरण ने एबीएस पर 56 वें ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि सेक्रेटेरिएट जमा किए गए रेड सैंडर के नमूनों के उचित रखरखाव के लिए रु. 5.00 लाख आईडब्ल्यूएसटी को जारी कर सकता है।
- प्राधिकरण ने अपनी प्रतिष्ठा और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए बीएनएचएस को राष्ट्रीय कोष के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।
- सदस्यों ने संशोधित बजट के साथ 5 रेड सैंडर्स अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- एनआईआरडी और पीआर पांच क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए लग सकते हैं।
- एसबीबी और एसआईआरडी, सक्षम एजेंसियों के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए भागीदार के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- प्राधिकरण ने फ़ार्म 1 आवेदकों के उल्लंघन मामलों से संबंधित ओएम दिनांक 10/09/2018 और 18/03/2019 के तहत अनुमोदित अनुप्रयोगों के लिए लाभ साझाकरण घटक की उच्चतम दर को मौजूद दिशानिर्देश (अर्थात 0.5%) के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया और अनुसंधान अनुप्रयोगों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम भुगतान एकत्र करने का निर्णय लिया.
- एनबीए 9 अगस्त 2019 के एनजीटी के आदेश के संदर्भ में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध करेगा।
- एनबीए 9 अगस्त 2019 के एनजीटी आदेश के कार्यान्वयन के संदर्भ में एमओईएफ और सीसी द्वारा नियुक्त वकील के साथ भी परमर्श करेगा.
- सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक खातों की पुष्टि की; आरई (2019-2020) और बीई (2020-2021)।
- प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों का बीडी अधिनियम, 2002, बीडी नियम, 2004, एअबीएस पर क्षेत्र विशिष्ट एसओपी का विकास, और एबीएस, 2019, आदि पर मसौदा विनियमों में निगमन के लिए हितधारकों की टिप्पणियों की जांच का समर्थन

किया। इसके बाद के घटनाक्रम और एनबीए को उचित रूप में एमओईएफ और सीसी के माध्यम से इसे संसाधित करने की सलाह दी।

- प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों का बीडी अधिनियम, 2002, बीडी नियम, 2004, एबीएस पर क्षेत्र विशिष्ट एसओपी का विकास, औरएअबीएस, 2019, आदि पर मसौदा विनियमों में निगमन के लिए हितधारकों की टिप्पणियों की जांच का समर्थन किया। इसके बाद के घटनाक्रम और एनबीए को उचित रूप में एमओईएफ और सीसी के माध्यम से इसे संसाधित करने की सलाह दी।
- सदस्यों ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर फ्रेमवर्क' की स्थापना पर विचार किया और अनुमोदित किया।

3.3 55 वीं प्राधिकरण की बैठक

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के इंडस हॉल में 12 मार्च 2020 को प्राधिकरण की पचपनवीं बैठक डॉ. वि.बि. माथुर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, विचार-विमर्श और लिये गये निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- प्राधिकरण ने एबीएस पर 57 वें ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- प्राधिकरण ने एबीएस पर 58 वें ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एनबीए प्रस्ताव में संरक्षण, पुनर्जनन और जागरूकता सृजन घटकों का समर्थन कर सकता है।
- प्राधिकरण ने रेड सैंडर्स वन संरक्षण के लिए एपी वन विभाग को रू. 31.55 करोड़ की राशि जारी करने का निर्णय

  प्राधिकरण ने जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग, पीबीआर की तैयारी, बीएमसी के गठन, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विशिष्ट शोध अध्ययन, प्रकाशन आदि कार्य जैसी गतिविधियों के लिए अर्जित लाभ साझाकरण घटक और ब्याज घटक पर निर्धारित राशि का उपयोग करने के लिए अध्यक्ष, एनबीए को अधिकृत किया।
- सदस्यों ने संशोधित बजट के साथ लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी दी और निर्णय लिया कि एनबीए आईडब्ल्यूएसटी को कुल परियोजना फंड जारी कर सकता है
- प्राधिकरण ने फैसला किया कि राज्यों को पीबीआर के प्रलेखन के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सीएएमपीए प्राधिकरण को जारी करने के लिए एक सलाह के लिए एमओईएफ और सीसी को अनुरोध करने के लिए एक पत्र भेजा जा सकता है।
- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एनबीए की एबीएस राशि, ब्याज घटक, लाभ साझा करने वाले घटक से जहां लाभार्थी पहचान योग्य नहीं हैं, पीबीआर की तैयारी, प्रशिक्षण और बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उपयोग की जायेगी।
- प्राधिकरण ने फैसला किया कि शहरी निकाय स्तर पर पीबीआर तैयार करने के लिए रू. 2.30 लाख की वित्तीय सहायता तय की जा सकती है।
- प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि एसबीबी के पास राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा विकसित ढांचे का उपयोग करके पीबीआर गुणवत्ता मूल्यांकन करने के लिए एक समिति है।
- सदस्यों ने सिद्धांत रूप में, परामर्शदाताओं/ युवा पेशेवरों/ इंटर्न को काम पर लगाने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों और काम पर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी। प्राधिकरण ने एनबीए को अनुसमर्थन के लिए प्राधिकरण की अगली बैठक में संशोधित दिशानिर्देश रखने का भी निर्देश दिया।
- प्राधिकरण ने नौ (9) रेड सैंडर्स अनुप्रयोगों पर लिए गए निर्णयों की पुष्टि की।
- प्राधिकरण ने एबीएस पर 59 वें ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दी।

प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां और उनकी गतिविधियां

4.1 जैविक विविधता नियमों की जांच करने के लिए, नागोया प्रोटोकॉल के तहत उपयोगकर्ता देश के उपायों और सेक्टर विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास की जांच करने हेतु विशेषज्ञ समिति-

प्राधिकरण की 52 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, श्री ए.के. गोयल की अध्यक्षता में 31.05.2019 के कार्यालय आदेश के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह गठन जैविक विविधता अधिनियम और नियमों की जांच करने के लिए, नागोया प्रोटोकॉल के तहत उपयोगकर्ता देश के उपाय; एनबीए द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए सेक्टर विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं और सुव्यवस्थित प्रक्रिया का विकास के लिये किया गया था। तदनुसार एनबीए ने 2019-2020 की अवधि के दौरान 13 बैठकें आयोजित किया.

1) ईसी की पहली बैठक 20 जून, 2019 को एनबीए, चेन्नई में आयोजित की गई थी

2) दूसरी बैठक 26 जून, 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई

3) ईसी की तीसरी बैठक 18 जुलाई, 2019 को भारतीय वन सर्वेक्षण (पूर्वी क्षेत्र) कार्यालय, कोलकाता में आयोजित की गई थी

4) ईसी की चौथी बैठक 13-14 अगस्त, 2019 को एनबीए, चेन्नई में आयोजित की गई थी

5) 5-6 सितंबर, 2019 को ईसी की पांचवीं बैठक एनएएससी कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर, नई दिल्ली में आयोजित की गई

6) ईसी की छठी बैठक 25-26 सितंबर, 2019 को एनबीए, चेन्नई में आयोजित की गई

7) ईसी की सातवीं बैठक 14-15 अक्टूबर, 2019 को सतलज हॉल, एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

8) ईसी की आठवीं बैठक 29-30 अक्टूबर, 2019 को एनबीए, चेन्नई में आयोजित की गई थी

9) ईसी की नौवीं बैठक 21-22 नवंबर, 2019 को ईंडस सम्मेलन हॉल, एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई

10) ईसी की दसवीं बैठक 23-24 दिसंबर, 2019 को एनबीए, चेन्नई में आयोजित की गई थी

11) ईसी की ग्यारहवीं बैठक 9-10 जनवरी, 2020 को ईंडस सम्मेलन हॉल, एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई

12) ईसी की बारहवीं बैठक 1-2 फरवरी, 2020 को एनएएससी कांप्लेक्द, पूषा, नई दिल्ली में आयोजित की गई

13) तेरहवीं बैठक रेडिसन, नई दिल्ली द्वारा होटल पार्क इन में 28-29 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी

2. टीओआरएस पर चर्चा होने के बाद, विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट के रूप में अपनी निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

क) 1 सितंबर, 2019 को एनबीए / एसबीबी द्वारा विभिन्न मंजूरी को व्यवस्थित करने के उपायों पर पहली अंतरिम रिपोर्ट।

ख) 30 अक्टूबर, 2019 को संशोधित मसौदा एबीएस विनियम, 2019 पर दूसरी अंतरिम रिपोर्ट

3. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, एनबीए द्वारा 19 मार्च, 2020 को ओ एम जारी किया गया था और इस प्रकार आवेदनों की समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित किया गया था।

जैविक संसाधनों तक पहुंच विनियमित करने की गतिविधियां और उचित और समान लाभ साझा करना

5.1 पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) पर विशेषज्ञ समिति (ईसी)

जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान के लिए पूर्व अनुमोदन, अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या सूचना के आधार पर आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन की मांग करने वाले आवेदन और एनबीए द्वारा प्राप्त तृतीय पक्ष के लिए सुलभ जैविक संसाधनों का हस्तांतरण का मूल्यांकन इस विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है जिसने प्राधिकरण के विचार के लिए उपयुक्त

सिफारिशें की थीं। वर्ष के दौरान, समिति ने पांच बार, 55 वीं बैठक 13 और 14 जून 2019 को, 56 वीं बैठक 8 वीं और 9 अगस्त 2019 को, 57 वीं बैठक 8 वीं और 9 नवंबर 2019 को, 58 वीं बैठक 16 वीं और 17 दिसंबर 2019 को और 59 वीं बैठक 5 और 6 मार्च 2020 को आयोजित की लाभ साझाकरण करने पर 1085 अनुप्रयोगों का मूल्यांकन कियाऔर प्राधिकरण को संस्तुतियां दिया. इसके अलावा, ईसी ने गैर-भारतीय जैविक संसाधनों तक पहुंचने और जैविक संसाधनों का उपयोग किए बिना बेहतर डिजाइन के दावे पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता जैसे विभिन्न सामान्य मुद्दों पर तकनीकी-कानूनी इनपुट प्रदान किया।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र (IRCC) उत्पन्न करना

आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के तहत और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के संदर्भ में पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक्सेस के समय साक्ष्य के रूप में परमिट जारी करें कि वे आनुवंशिक संशाधनों के लिये एक्सेस पहले दी गई सहमति पर आधारित है जो परस्पर सहमति पर स्थापित किये गये हैं. चूंकि भारत नागोया प्रोटोकॉल का पक्षकार है, इसलिए एनबीए ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लायंस एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दी गई 521 स्वीकृतियों का विवरण अपलोड किया है।

भारत ने सभी संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में एबीएस सीएच पोर्टल में "जैविक या व्यावसायिक या गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया" के लिए प्रक्रिया प्रकाशित की। उसी को सीबीडी सचिवालय ने स्वीकार किया था।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में यथा संदर्भित- कार्यकलापों को आरंभ करने हेतु दिया गया अनुमोदन।

6.1 अनुमोदन विवरण

जैव विविधता अधिनियम, 2002 का उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत् उपयोग और इनके उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बांटना है। तद्नुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अनुसंधान हेतु जैव संसाधनों और/अथवा संबद्ध ज्ञान तक पहुंच, जैव सर्वेक्षण और-जैव उपयोग; वाणिज्यिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करने अनुसंधान के परिणामों तथा अभिप्राप्त जैव संसाधनों और/अथवा संबद्ध वस्तुओं के अंतरण संबंधी कार्यकलापों का विनियमन करने का अधिदेश दिया गया है। आवेदकों को जिन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना है, उनका उल्लेख अधिनियम की धारा 3, 4 और 6; जैव विविधता नियम 2004 के, नियम 14, 17 और 18 तथा एबीएस विनियम 2014 में, किया गया है।

2. उक्त कार्यकलापों के लिए एनबीए को विभिन्न पणधारकों यथा गैर-भारतीय व्यक्ति अथवा इकाई; भारतीय व्यक्ति अथवा इकाई से आवेदन प्राप्त हो रहे और इनकी इस प्रयोजन हेतु गणित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी निम्नलिखित तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 2 - एबीएस अनुप्रयोगों की श्रेणी

बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 2002	प्रपत्र संख्या	आवेदन के प्रयोजन	किसके द्वारा
धारा 3	I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोगिता के लिए जैविक संसाधनों और / या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर-भारतीय भागीदारी के लिए भारतीय इकाई
धारा 4	II	अनुसंधान के परिणामों को स्थानांतरित करना	भारतीय / गैर-भारतीय या किसी गैर-भारतीय की इकाई, एनआरआई, विदेशी इकाई या शेयर पूंजी में गैर-भारतीय भागीदारी के लिए इकाई
धारा 6	III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनापत्ति मांगना	कोई भारतीय / गैर-भारतीय या इकाई

4. स्थापना के बाद से, इस कार्यालय को फॉर्म I, II और III (चित्र 1) के तहत विभिन्न हितधारकों से 3822 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीए को 900 आवेदन मिले, जो सभी प्रकार से पूर्ण थे और इसलिए प्रसंस्करण के लिए उठाए गए थे। अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका -2 में दिखाया गया है।

चित्र- 1- विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदनों की प्राप्ति

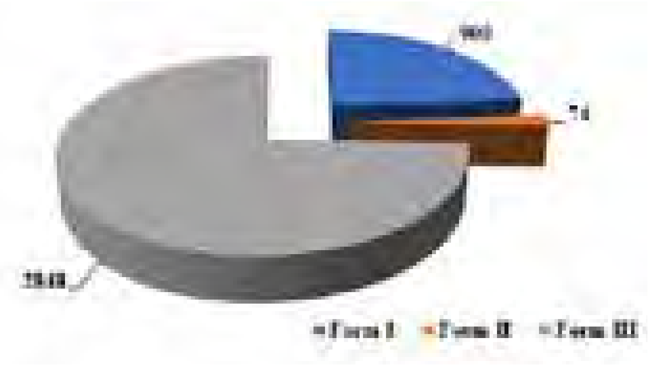

*31/03/2020 तक प्राप्त आवेदन

तालिका 3 - एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	फ़ार्म I	फ़ार्म II	फ़ार्म III	योग
प्राप्त	220	18	662	900
समाशोधित	93	2	633	728
प्रक्रियाधीन	369	20	398	787
उल्लंघन	26	3	22	51
बंद / वापस लिया गया	152	23	397	572
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए / अनुमोदित	29	1	258	288
समाशोधित (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	238	25	1382	1645
हस्ताक्षरित अनुबंध (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन	206	20	728	954
बंद / वापस लिया गया (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	10	0	28	38
अस्वीकृत	9	0	15	24

6.2 लाभ साझाकरण की वसूली हुई

एनबीए को 2019-2020 के दौरान लाभ साझाकरण घटक के रूप में 4,03,77,177 रुपये प्राप्त हुए।

लाल सैंडर्स पर अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता (आरएस)

रेड सैंडर्स भुगतान के लिए उपयोग की गई राशि का उपयोग करने के तरीकों को तैयार करने के लिए जो समिति गठित की गई उसने विशिष्ट सैंडस्टार क्षेत्रों के संबंध में रेड सैंडर्स पर अनुसंधान और विकास के लिए लाभ साझेदारी राशि के अठारह प्रतिशत (18%) की सिफारिश की गई थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीए को लाभ साझा करने की राशि के रूप में Rs.82,66,39,598 प्राप्त हुआ। तदनुसार, एनबीए ने सीएसआईआर,

आईसीएफआरई, और आईसीएआर आदि सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों से पहचाने गए विश्वसनीय क्षेत्रों पर प्रस्ताव आमंत्रित किए। कुल 15 प्रस्ताव सचिवालय द्वारा विचार के लिए प्राप्त किए गए। परियोजना के प्रस्तावकों को समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश करने और चर्चा के बाद संक्षिप्त प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। रेड सैंडर्स पर अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया गया था और विशेषज्ञ समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों के साथ कुल छह प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी। इसके बाद, 19 मार्च, 2019 को हुई 52 वीं बैठक में प्राधिकरण ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी और बाद में संबंधित परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की गई।

आनुवंशिक संसाधनों और सहयुक्त ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय

7.1 किए गए उपाय

जैविक / आनुवांशिक संसाधन और उनसे जुड़े ज्ञान, बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए मूल अवयवों का निर्माण करते हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर एंड डी क्षेत्र में से एक है। यह मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में योगदान देता है जो बदले में अत्यधिक आर्थिक क्षमता रखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का उपयोग इस बहुमूल्य जानकारी पर एकाधिकार अधिकार बनाने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में किया जाता है और जिससे व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित होती है। लेकिन पेटेंट के अनुदान के माध्यम से निजी संपत्ति अधिकारों का निर्माण भविष्य के अनुसंधान के लिए बाधाओं को जन्म दे सकता है। इस तरह के अनन्य अधिकारों के धारकों को काफी लाभ होने के बावजूद, वास्तविक संरक्षक और जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के धारकों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम से इस तरह के अनुसंधान और बाद में जैविक संसाधनों के व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभों का समान रूप से साझा करना है। यह प्री-इनफॉर्म्ड कंसेंट (PIC) के माध्यम से प्रवेश के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जनादेश के निर्माण और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) के आधार पर लाभ साझा करने के द्वारा इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 को सीबीडी अर्थात जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को लागू करने के लिए लागू किया। जैविक विविधता अधिनियम की धारा 6, किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी जैविक अनुसंधान पर आधारित अनुसंधान या सूचना के आधार पर एक आविष्कार के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य करती है, जो भारत से उत्पन्न या प्राप्त की जाती है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

29 अक्टूबर 2010 को अपनाए गए नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी के तीसरे उद्देश्य को मजबूत करना है - आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण। इस संबंध में, नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 और 16 में कहा गया है कि प्रत्येक पार्टी अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले 'आनुवंशिक संसाधन' और 'आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान' प्रदान करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेंगी। पहले से सूचित सहमति के अनुसार पहुँचा जा सकता है और यह कि पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों को स्थापित किया गया है, जैसा कि घरेलू उपयोग और लाभ-साझाकरण कानून या अन्य पार्टी की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक है। इसके अलावा, पार्टियां गैर-अनुपालन की शर्तों को संबोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और समानुपातिक उपाय करेंगी, और जहां तक संभव हो और उचित होगा, घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करेंगी।

अब तक अपने अस्तित्व में एनबीए, विभिन्न स्थितियों में आया है, जहां विदेशी न्यायालयों में व्यक्तियों, संस्थानों और कंपनियों ने नवाचारों को विकसित करने के लिए मूल्यवान भारतीय जैविक संसाधनों का उपयोग है और विदेशी पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट के लिए आवेदन किया है। गैर-अनुपालन की ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए, बीडी अधिनियम 2002 ने जैविक संसाधनों के आधार पर आविष्कारों के लिए पेटेंट के अनुदान का विरोध करने के लिए वैधानिक कार्य के साथ जैविक विविधता अधिनियम की धारा 18 (4) के तहत एनबीए को सशक्त बनाया है जो एनबीए से पूर्व अनुमोदन के बिना प्राप्त किए गए थे। 13 अक्टूबर, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 35 वीं बैठक ने इस मुद्दे पर चर्चा की और एनबीए सचिवालय को ऐसे आईपीआर अनुप्रयोगों का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।

परिणामस्वरूप, एनबीए ने 19 पेटेंट आवेदनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जो दुनिया भर के विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में दायर किए गए थे। इन पेटेंट अनुप्रयोगों में भारत से विभिन्न जैविक संसाधनों का उपयोग किया गया था जैसे कि हल्दी (करकुमा लोंगा), भारतीय गूसबेरी (Emblica officinalis), नीम (Azadirachta इंडिका), अदरक (Zinziber officinale), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा) (Centella asiatica), टर्मिनालिया अर्जुन, इंडिओयन बे लीफ़ (Cinnamomum tamala),अलो वेरा, स्फ़ेरन्थस इंडस आदि जैसे उच्च औषधीय मूल्यों वाले पौधे। विदेशी पेटेंट आवेदनों के खिलाफ शुरू किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, एनबीए दो बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिये पूर्व स्वीकृति के लिये अब तक चौबीस

(24) आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से एनबीए ने सात (7) मामलों को (एबीएस आवेदन हताक्षरित) अनुमोदन दिया है।

अब तक, एनबीए ने 74 पेटेंट आवेदनों के खिलाफ उपाय शुरू किए हैं जो तीसरे पक्ष के अवलोकन / पेटेंट याचिकाओं / पूर्व-जारी प्रस्तुत आदि के रूप में हैं जो दुनिया भर के विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में दायर किए गए थे। इनमें 19 मामलों में वर्ष 2019-20 (तालिका 3) में कार्रवाई की गई।

तालिका 4 - वर्ष 2019-20 में किये गये उपायों की सूची

पेटेंट कार्यालय	आरंभ किये गये कार्यों की संख्या
यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (EPO)	3
संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेड्मार्क कार्यालय (USPTO)	14
कनाडियन बौद्धिक पेटेंट कार्यालय (CIPO)	2

7.2 भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एकस्व की निगरानी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और भारतीय पेटेंट कार्यालय एकस्व आवेदनों की प्रभावी निगरानी के लिए पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैव विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन कर रहा है, भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर एक आविष्कार के लिए सही है, एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा, जबकि धारा पेटेंट अधिनियम, 1970 के 10 (4) (ii) (D) आविष्कार में प्रयुक्त जैविक संसाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए आवेदक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना को 25 मार्च, 2013 को 'पेटेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए दिशानिर्देश' और 'पारंपरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से संबंधित पेटेंट अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश' में शामिल किया गया है। दिनांक 18 दिसंबर 2012 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) के नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी किया गया। सीजीपीडीटीएम द्वारा जारी दोनों दिशानिर्देशों और 2012 के परिपत्र संख्या: 1 में आवश्यक है कि भारत से प्राप्त जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा 'एनबीए अनुमोदन' की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसके अलावा इस आवश्यकता को फॉर्म I में एक घोषणा के रूप में शामिल किया गया है जिसे पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के बावजूद, कुछ पेटेंट अभी भी प्रदान किए जा रहे हैं और जो जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 का उल्लंघन हैं।

इसलिए, एनबीए सचिवालय ने हर महीने आईपीओ द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पेटेंट आवेदनों की निगरानी का काम संभाला ताकि पेटेंट कार्यालय के साथ-साथ आवेदक को उन आविष्कारों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सके जो संभावित रूप से धारा 6 के दायरे में आते हैं और इसमें एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यह निगरानी प्रक्रिया नवाचार की विभिन्न धाराओं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल्स, टीके-बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए की गई थी। एनबीए के आईपीआर अनुभाग ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के महीनों के लिए 3593 आवेदनों की छानबीन की और 386 मामलों में आईपीओ को पत्र भेजकर सूचित किया कि वे आविष्कार धारा 6 के दायरे में आएंगे और एनबीए की मंजूरी आवश्यक थी (तालिका- 4)। आईपीओ ने आवेदकों को आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर इन पत्रों को भी प्रकाशित किया था ताकि पेटेंट प्रदान करने से पहले आवेदक समय से पहले एनबीए से संपर्क कर सकें।

तालिका 5

आईपीओ द्वारा प्रकाशिक एकस्व की निगरानी के लिये सांख्यिकी

माह	प्रकाशित आवेदनों की संख्या	एनबीए के दायरे में आने वाली संख्या
अप्रैल 2019	224	36
मई 2019	359	45
जून 2019	243	45
जुलाई 2019	179	44
अगस्त 2019	450	26
सितंबर 2019	280	20
अक्तूबर 2019	250	12
नवंबर 2019	311	50
दिसंबर 2019	329	51
जनवरी 2020	580	22
फ़रवरी 2020	242	22
मार्च 2020	121	13
योग	3568	386

जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुमोदन

राष्ट्रीय जैव प्रधिकरण अनुसंधान हेतु जैव संसाधनों और/अथवा सहयुक्त जानकारी तक पहुंच; जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग; वाणिज्यिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करने; अनुसंधान के परिणामों का अंतरण तथा जिन जैव संसाधनों और/अथवा सहयुक्त जानकारी तक पहुंच की गई है, उनके अंतरण से संबंधित कार्यलापों का विनियमन करने हेतु अधिदेशित है। आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का अधिनियम की धारा 19 और 20; जैव विविधता नियम 2004 की धारा 14, 17, 18, 19 और 20 तथा एबीएस विनियम 2014 में उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए एनबीए को विभिन्न पणधारकों यथा गैर भारतीय व्यक्ति या इकाई; भारतीय व्यक्ति या इकाई से आवेदन प्राप्त हो रहे है और इनकी इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका चार में की गई है।

तालिका 6 - एबीएस अनुप्रयोगों की श्रेणी

धारा	फ़ार्म	श्रेणी
बीडी अधिनियम 2002 की धारा 20	फ़ार्म IV	एक्सेस किये गये जैविक संसाधनों और/या संबंधित ग्यान का तृतीय पार्टी स्थानांतरण
एबीएस विनियम 2014 की धारा 13	फ़ार्म बी	जैविक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं / सरकारी संस्थानों द्वारा भारत के बाहर आपातकालीन उद्देश्य के लिये गैर वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का संचालन करना

स्थापना के बाद से, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (92) और फॉर्म बी (152) के 244 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका -6 में दिखाया गया है।

तालिका 7

फ़ार्म IV और फ़ार्म बी के एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्क्रण की अवस्था

विवरण	फ़ार्म IV	फ़ार्म बी	योग
प्राप्त	4	46	50
समाशोधित	0	40	40
प्रक्रियाधीन	10	3	13
उल्लंघन	9	0	97
बंद / वापस लिया गया	0	20	20
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए / अनुमोदित	0	39	39
समाधोधित(पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	32	70	102
हताक्षरित अनुबंध (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	30	70	100
बंद/वापस लिया गया (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	40	19	59
निरस्त	0	0	0

बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के संबंध में जागरूकता; और जन भागीदारी

9.1. डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) पर परामर्श बैठक

एमओईएफ़&सीसी, एनबीए और यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से 30 जुलाई, 2019 को एमओईएफ़&सीसी, नई दिल्ली में मंत्रालयों / विभागों, संगठनों और विशेषज्ञों के साथ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन पर एक परामर्श बैठक आयोजित की, ताकि देश में डीएसई पर काम के परिदृश्य को समझा जा सके। इसी क्रम में, 14 फरवरी, 2020 को यूएनडीपी कॉन्फ्रेंस हॉल, नई दिल्ली में भारत में डीएसआई पर काम के परिदृश्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसके उपयोग पर एबीएस प्रावधानों के पहलू को समझने के लिए यूएनडीपी इंडिया और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) की साझेदारी में एनबीए द्वारा उद्योगों, विभाग और व्यक्तिगत विशेषज्ञों जैसे संबंधित हितधारकों के साथ एक दूसरी परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। परामर्श बैठक में संबंधित विभागों, संस्थानों, संगठनों, उद्योगों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों के 40 से अधिक प्रतिभागी थे। बैठक में विचार-विमर्श ने इस महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र में बेहतर समझ की दिशा में बहुत आवश्यक शुरुआत प्रदान की।

9.2. बीज क्षेत्रों के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र पर मंथन सत्र

बीडी अधिनियम को लागू करने में मुद्दों को संबोधित करने के लिए बीज क्षेत्रों के अनुरोध के अनुसार, सीड सेक्टर, एनबीए, चेन्नई में 20 दिसंबर 2019 को बीज क्षेत्र के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र पर एक दिवसीय मंथन सत्र आयोजित किया गया था। मंथन सत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, एनबीपीजीआर, जैव विविधता / स्वतंत्र पर स्वतंत्र विशेषज्ञों जैसे डॉ. आर.एस. राणा, श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी,आईएफ़एस और फेडरेशन

ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (FSII) और नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (NSAI) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

9.3 इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (ई-पीबीआर) पर मंथन सत्र

एनबीए ने एनबीए चेन्नई केसम्मेलन कक्ष में 16 नवंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर (ई-पीबीआर) पर एक दिन के मंथन सत्र का आयोजन किया। एनबीए कर्मचारियों के साथ मिलकर

पीबीआर के विकास में विविध विशेषज्ञता और अनुभव वाले कुल 50 विशेषज्ञों ने मंथन सत्र में भाग लिया। 27 नवंबर 2019 को आयोजित एसबीबी की राष्ट्रीय बैठक में अंतिम रोडमैप के साथ इस सत्र के परिणामों पर चर्चा की गई।

एनबीए को दी गई ई-पीबीआर पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एनबीए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रतिनिधियों की एक बैठक 9 जनवरी, 2020 को एनबीए, चेन्नई में आयोजित की गई थी। इसके बाद, ई-पीबीआर पायलट चरण परियोजना की समीक्षा और पुन: परीक्षण के लिए एनआईसी केरल स्टेट सेंटर में 6 और 7 फरवरी, 2020

को दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनबीए, एनआईसी-चेन्नई और एनआईसी- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों और डॉ. विश्वास चव्हाण ने भाग लिया।

9.4. जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 13 वां सम्मेलन (CMS COP 13):

प्रवासी प्रजाति (यूएनईपी / सीएमएस) पर कन्वेंशन, जिसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य उनकी सीमा के दौरान स्थलीय, जलीय और एवियन प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना है। भारत ने 15-22 फरवरी, 2020 तक गांधीनगर, गुजरात में जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजाति (सीएमएस सीओपी 13) के संरक्षण के लिए पार्टियों के 13 वें सम्मेलन की मेजबानी की।

17.02.2020 को सीबीडी, एमओईएफ और सीसी, एनबीए और यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से "आइची जैव विविधता लक्ष्य 11 को प्राप्त करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण" पर एक पक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर, सुश्री एलिजाबेथ मारुमा मेरमा, सीबीडी के कार्यवाहक कार्यकारी सचिव, सुश्री उमा देवी, आईएफएस, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी, डॉ. सुजीत सिंह बाजपेयी, संयुक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी एनबीए / राज्य जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों और अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर उपस्थित हुए थे।

साइड इवेंट के दौरान, एमओईएफ़ और सीसी के माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने "भारत में प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रकृति आधारित समाधान" शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया। डॉ. वी.बी. माथुर, अध्यक्ष, एनबीए ने भारत के संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) की स्थिति प्रस्तुत की, जो एची जैव विविधता लक्ष्य 11 में योगदान कर रहे थे। इसके अलावा, सीएमएस सचिवालय द्वारा आयोजित साइड इवेंट में; अध्यक्ष, एनबीए ने वन्यजीवों पर रैखिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों पर भारत के अनुभव को भी साझा किया।

श्री जे. जस्टिन मोहन, आईएफ़एस, सचिव, एनबीए ने 20 फरवरी, 2020 को एमओईएफ़ और सीसी, बीएनएचएस और डब्ल्यूआईआई द्वारा आयोजित प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के साइड इवेंट में एक पैनेलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर "स्टेट आफ़ इंडिया बर्ड्स" पर एक रिपोर्ट जारी की गई. इस आयोजन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एमओईएफ़ और सीसी, बीएनएचएस, डब्ल्यूआईआई और ऑर्निथोलॉजिस्ट के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

9.5. हितधारकों / क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ सहभागिता:

1. तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण) ने यूएनडीपी-जीईएफ ग्लोबल एबीएस प्रोजेक्ट के यूरोपीय, सीआईएस, अरब और एशियाई देशों के लिए नागोया प्रोटोकॉल पर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग पर प्रैक्टिस वर्कशॉप की कम्युनिटी में और इस्तांबुल टर्की में 9 से 12 अप्रैल 2019 तक के अपने पार्टनर देशों / संस्थानों में प्रैक्टिस वर्कशॉप की कम्युनिटी भाग लिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय एबीएस फोकल पॉइंट, एबीएस प्रैक्टिशनर्स और नीति निर्माताओं के साथ-साथ स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, शोधकर्ताओं और निजी क्षेत्र की कानूनी और नीति और व्यावहारिक संसाधनों के प्रबंधन, जैव-पूर्वेक्षण के संदर्भ में संबद्ध परंपरा ज्ञान। और प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यशाला में, उन्होंने "भारत के एबीएस लीगल फ्रेम वर्क - प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस", "टीके (टीकेडीएल और पीबीआर) - भारत से अनुभव", परमिट प्रक्रिया और आईआरसीसी से संबंधित मुद्दों पर कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया.
2. एबीएस, 2019 के प्रारूप दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिये भारतीय मसाला बोर्ड, कोचीन और अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच के प्रतिनिधियों की बैठक श्री डी सथियान, आईएफ़एस, सचिव, मसाला बोर्ड की अध्यक्षता में 10 जून 2019 को मसाला बोर्ड, कोचीन में आयोजित की गई। तकनीकी अधिकारी (बीएस) ने बैठक में भाग लिया और एनबीए और मसाला क्षेत्र से संबंधित जैविक विविधता अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताओं के बारे में प्रस्तुति दी।
3. चेन्नई में 8 और 9 जुलाई, 2019 को राज्य जैव विविधता बोर्डों के लिए जीआईजेड-एबीएस परियोजना द्वारा "एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (ABS) तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक संचार" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें तकनीकी अधिकारी (बी.एस.) ने "भारतीय जैव विविधता अधिनियम के तहत एबीएस की प्रमुख विशेषताओं" पर एक प्रस्तुति दी और प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी स्पष्ट किया।
4. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने संयुक्त सचिव (सीड्स) की अध्यक्षता में हितधारकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जो 11 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में गवर्निंग बॉडी सेशन -8 के एजेंडे पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित की गई थी और यह एसएमटीए और अनुलग्नक -1 में संशोधन तथा ITPGFRA से संबंधित अन्य मामलों में के संबंध में आयोजित की गई थी। तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण) ने बैठक में एनबीए का प्रतिनिधित्व किया और मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत किया।
5. आयुष मंत्रालय ने पत्र सं. एल -20025/1/2017-जेसी दिनांक 22.02.2019 के अंतर्गत ट्रेड क्लासिफिकेशन, गुणवत्ता नियंत्रण और भारतीय प्रणालियों के मानकीकरण (आईएसएम) और हर्बल उत्पादों के विस्तार के लिए एक टास्क फ़ोर्स गठित किया, जिसमें तकनीकी अधिकारी(बीएस), एनबीए एक सदस्य हैं. टास्क फ़ोर्स की बैठक 17 सितंबर 2019 को आयोजित हुई जिसमें तकनीकी अधिकारी(बीएस), एनबीए ने भाग लिया था.
6. पर्यावरण बैठक पर भारत-फ्रांस संयुक्त कार्य दल का दूसरा सत्र 18-19 नवंबर, 2019 को एमओईएफ और सीसी में आयोजित किया गया, जिसमें सचिव, एनबीए ने भाग लिया और "बीडी अधिनियम, 2002 और जैव विविधता से संबंधित चल रहे कार्य / परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति दी"।
7. आयुष मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 दिसंबर, 2019 तक वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। वाराणसी में बनाई गई योजना के अनुसार सीईओ फोरम के अग्रदूत के रूप में, आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने सचिव, आयुष मंत्रालय और सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किया। अंतर-मंत्रालयी बैठक में डॉ.वी.बी. माथुर, अध्यक्ष, एनबीए, श्री जे. जस्टिन मोहन, सचिव, एनबीए, डॉ. तरुण कथुला, निदेशक, एमओईएफ और सीसी और वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड, डीजीएफटी, डीजीसीआईएस के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ फिक्की जैसे उद्योग सहयोगियों के प्रतिनिधि, एडीएमए, आदि ने भाग लिया। आयुष संघों के प्रतिनिधियों ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 से संबंधित मुद्दों पर, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में संयंत्र आधारित दवाओं पर शोध के लिए अड़चनें, भारत में अनुसंधान और दवा विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी विषय पर प्रकाश डाला । अध्यक्ष,

एनबीए ने बताया कि विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए किए जाने वाले अंतराल और उपायों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने 26 से 30 दिसंबर, 2019 तक तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु और अहमदाबाद में एक अध्ययन यात्रा की। अध्यक्ष, एनबीए, सचिव, एनबीए, एमओईएफ और सीसी के अधिकारियों के साथ, 28 दिसंबर, 2019 को संसदीय स्थायी समिति के समक्ष राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के कार्यालय में उपस्थित हुए और अध्यक्ष एनबीए ने “जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन” के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

9. नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट (NAARM), हैदराबाद ने 22-23 जनवरी 2020 को आईसीएआर-एनएआरएमहैदराबाद में ओरिएंटेशन-कम-अवेयरनेस एंड एग्री रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पर दो दिन का “मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम (MDP)” आयोजित किया। तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), एनबीए ने कार्यशाला में भाग लिया और “एबीएस कार्यान्वयन प्रक्रिया, स्थिति और भारत में कृषि अनुसंधान के संदर्भ में चुनौतियों” पर प्रस्तुति दिया।

डीबीटी और उसके द्वारा तैयार की गई भारत की जैविक डाटा संग्रहण, पहुँच और साझाकरण नीति पर मसौदा दिशानिर्देश:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए भारत के जैविक डाटा भंडारण, पहुंच और साझाकरण नीति पर मसौदा दिशानिर्देश अपलोड किए। चूंकि इन दिशानिर्देशों में डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग के संदर्भ में सीबीडी और उसके नागोया प्रोटोकॉल के उपयोग और साझाकरण के प्रावधानों के लिए निहितार्थ हो सकते हैं, एनबीए ने डीबीटी को टिप्पणी की पेशकश की। इसके अलावा, एनबीए ने डीबीटी के लिए भारत के जैविक डाटा भंडारण, पहुंच और साझाकरण नीति पर मसौदा दिशानिर्देशों पर पैराग्राफ वार टिप्पणियां पेश कीं। 16 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में उक्त दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनबीए द्वारा की गई टिप्पणियों / सुझावों को उचित रूप से विचार किया।

29 जून, 2019 को एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली में एनबीए और सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई के बीच एक चर्चा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विशेष रूप से पीबीआर के साथ टीकेडीएल को जोड़कर एक साझा मंच विकसित करने के संदर्भ में संभावित सहयोग पर चर्चा की गई थी। बैठक में टीएसडीएल के रूप में और पीबीआर के रूप में एनबीए के साथ सीएसआईआर के साथ उपलब्ध संबंधित जानकारी की प्रकृति और सामग्री पर चर्चा की गई। इस बात पर सहमति बनी कि टीकेडीएल औरपीबीआर में सूचनाओं को एकीकृत करने वाले एक सामान्य मंच का विकास पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा और राष्ट्र के हित में होगा। लेकिन साथ ही, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत नियामक आवश्यकताओं को मंच खोलने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसी के तौर-तरीकों पर एनबीए और सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई द्वारा चर्चा की गई थी और उन्होंने पीबीआर और टीकेडीएल में मौजूद जानकारी की प्रकृति और सामग्री को स्पष्ट रूप से समझने के लिए 16 सितंबर, 2019 को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस तरह आगे की कार्रवाई के लिये परस्पर निर्णय ले सकते हैं।

9.6 जैव विविधता पर जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनबीए का सहायता अनुदान

एनबीए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के अपने मूल आदेश की प्रासंगिकता के साथ विश्वविद्यालयों / कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य जैव विविधता बोर्डों आदि की गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों और घटनाओं का एक सीमित सीमा तक समर्थन करता है। एनबीए समय-समय पर जैव विविधता पर नए और मूल कार्यों के प्रकाशन या प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उपरोक्त गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, प्राधिकरण ने प्रस्ताव जांच समिति (तालिका 7) की सिफारिश के आधार पर 59 प्रस्तावों का समर्थन किया है।

तालिका 8 - 2019-20 के दौरान आयोजित प्रस्तावित संवीक्षा समिति की बैठकों की सूची

2019-20 के दौरान प्रस्ताव संवीक्षा समिति की बैठकें	
कुल आयोजित बैठकें	5
समिति के समक्ष प्रस्तुत कुल प्रस्तावों की संख्या	84
फ़ंड के लिये संस्तुत कुल प्रस्ताव	44
वित्तीय सहायता के लिये संस्तुत कुल राशि	62,98,000
वित्तीय सहायता के लिये मंजूर की गई कुल राशि	40,75,430
वित्तीय सहायता के लिये जारी की गई कुल राशि	37,48,503

9.7 भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत में जैव विविधता पर सम्मेलन की ग्यारहवीं बैठक की भारत की अध्यक्षता के दौरान 2012 में भारत जैव विविधता पुरस्कार की शुरुआत की थी। 2014 और 2016 में भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की साझेदारी में यूएनडीपी द्वारा पुरस्कारों का दूसरा और तीसरा दौर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

एनबीए में चौथे दौर के पुरस्कारों को संस्थागत रूप दिया गया और इसके बाद गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 22 मई, 2017 को चौथा भारत जैव विविधता पुरस्कार लॉन्च किया। इसके बाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चौथे भारत जैव विविधता पुरस्कार, 2018 की मेजबानी की, जिसमें पुरस्कारों के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में यूएनडीपी इंडिया शामिल था और निम्नलिखित श्रेणियों (i) संरक्षण, (ii) जैविक संसाधनों के सतत उपयोग (iii) पहुंच और लाभ के बंटवारे के लिए प्रतिकारक तंत्र और (iv) सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समितियों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

भारत जैव विविध्ता पुरस्कार 2020 के पांचवें संस्करण को आधिकारिक तौर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 22 मई, 2019 को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव के दौरान पोस्टर और विवरणिका के विमोचन के साथ आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद, आवेदकों के उपयोग के लिए एनबीए की वेबसाइट पर श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र और जानकारी अपलोड की गई है। प्राप्त आवेदनों की जांच करने और विजेताओं को अंतिम रूप देने के लिए, एनबीए ने एक पुरस्कार चयन समिति का गठन किया, जिसमें विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य थे। एनबीए द्वारा इस समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर बुलाई जाती हैं और सदस्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों के काम को मान्य करने के लिए फील्ड विजिट की जाती है। चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति से संबंधित, इस वर्ष का पुरस्कार अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है।

9.8 अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस (आईडीबी) -2019

आईडीबी का आयोजन सतत विकास में इसके योगदान को उजागर करते हुए जैव विविधता के महत्व और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हर साल 22 मई को पूरे भारत में समुदायों, सरकारों, संस्थाओं और नागरिक संगठनों द्वारा मनाया जाता है। एनबीए और राज्य जैव विविधता बोर्ड राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का आयोजन करके इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाते हैं।

उस दिन राष्ट्रीय स्तर के समारोह विभिन्न हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ चेन्नई के कलाईवनार आरंगम में आयोजित किए गए। एनबीए के समन्वय से और तमिननाडु राज्य के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा इसका आयोजन किया गया जिसमें भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे।

भारत के उपराष्ट्रपति, श्री वेंकैया नायडू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भारतीय मानस और विश्वास का एक सहज पहलू है, जो धार्मिक प्रथाओं, लोककथाओं, कला और संस्कृति में परिलक्षित होता है, जो दैनिक जीवन के हर पहलू की अनुमति देता है। मानव जाति के अस्तित्व के लिए जैव विविधता के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने जैव विविधता से संबंधित बदलते प्रतिमानों, उचित नीतियों और कानून जैसे जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के विकास के माध्यम से देश द्वारा अच्छी तरह से विचार किए गए प्रतिक्रियाओं और उनसे निर्मित उपलब्धियां का उल्लेख किया।

आईडीबी 2019 के विषय का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में एक निर्धारित अवधि में विकसित पारंपरिक खाद्य प्रणाली अधिक स्वस्थ, अधिक संतुलित और पौष्टिक साबित हुई हैं। उन्होंने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से श्रोताओं के ध्यान में लाया कि मानव कार्यों के कारण प्रकृति मुसीबत में है। उन्होंने सभी से जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया, जो कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आईडीबी का विषय ‘हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य’ था, जो खाद्य और स्वास्थ्य की नींव के रूप में जैव विविधता पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य जैव विविधता के लिए ज्ञान और हमारे खाद्य प्रणालियों, पोषण और स्वास्थ्य और स्वस्थ पारिस्थितिकी की निर्भरता के बारे में जागरूकता फैलाना है। आयोजन के दौरान, उपराष्ट्रपति ने “भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना: एक अवलोकन” 2019, और जैव विविधता वित्त योजना ‘और अन्य संचार सामग्री पर दस्तावेज जारी किया। श्रृंखला के पाँचवें क्रम में,काल फ़ार भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020 भी एक विवरणिका और पोस्टर के रिलीज के माध्यम से लॉन्च किया गया

था। राज्य और केंद्र सरकारों के 30 से अधिक संस्थानों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम स्थल पर एक विषयगत प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में भोजन और स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता की भूमिका पर प्रकाश डालने वाले दिलचस्प प्रदर्शन, पोस्टर और अन्य ज्ञान उत्पादों को दर्शाया गया।

इस आयोजन में श्री अनिल कुमार जैन, अतिरिक्त सचिव एमओईएफ और सीसी और अध्यक्ष, एनबीए, श्री हंस राज वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार; और श्री शंभू कल्लोलिकर, प्रमुख सचिव, तमिलनाडु सरकार की भी उपस्थिति थी। एमओईएफ और सीसी, एनबीए, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और सिविल सोसायटी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों, स्थानीय समुदायों, महिला विकास समितियों के प्रतिनिधि और जैव विविधता के प्रति उत्साही लोग उपस्थित थे।

अध्याय 10

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38 और 64 के अंतर्गत जारी विनियम

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 64

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

10.1 जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा लाभ साझाकरण विनियम, 2014 संबंधी दिशानिर्देशन

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आनुवंशिक संसाधनों पर पहुंच और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों का ऋण और साम्यपूर्ण विभाजन करने पर नागोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता कन्वेंशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 के अनुसरण में "जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बांटने के विनियम, 2014 संबंधी दिशानिर्देश बनाए गए" और इन्हें 21 नवंबर, 2014 को अधिसूचित किया गया।

ये विनियम निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(क) अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण हेतु जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त जानकारी तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग।

(ख) वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच की प्रक्रिया और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव उपयोग।

(ग) जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधानों के परिणामों को अंतरित करने की प्रक्रिया।

(घ) ऐसे जैविक संसाधनों जिन तक पहुंच की गई है और/या सहयुक्त जानकारी को अनुसंधान के लिए/वाणिज्यिक उपयोग के लिए तृतीय पक्षकार को अंतरित करने की प्रक्रिया।

(ङ) बौद्धिक संपदा अधिकार अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया

(च) वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैविक संसाधनों तक पहुंच हेतु तथा जैविक संसाधनों जिन तक पहुंच की गई है और/या सहयुक्त जानकारी को अनुसंधान/वाणिज्यिक उपयोग उपयोग के लिए तीसरे पक्षकार को अंतरित करने का तरीका।

10.1.1 जैव विविधता अधिनियम और नियमों में ऐसे मुद्दों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समिति जिनमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है और यह उनमें संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यालय आदेश दिनांक 16.01.2019 के अंतर्गत जैविक विविधता अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिनमें अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है और संशोधनों के लिये प्रस्ताव किये जा सकते हैं। तदनुसार, एनबीए ने छह बैठकें आयोजित की और समिति को एमओईएफसीसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की।

1) पहली बैठक 22 जनवरी 2019 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में आयोजित की गई

2) बीडी अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करने के लिए एनबीए के अधिकारियों के साथ एनबीए चेन्नई में 23 और 24 जनवरी 2019 को बैठक आयोजित की गई.

3) 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2019 को एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में बीडी अधिनियम और नियमों में मुद्दों / चुनौतियों पर मंथन सत्र आयोजित किया गया.

4) एनबीए, चेन्नई में 08 फरवरी, 2019 को दूसरी बैठक हुई.

5) एनबीए, चेन्नई में अधिनियम / नियमों के कार्यान्वयन में मुद्दों / चुनौतियों पर विभिन्न मंत्रालयों / हितधारकों के समूहों / एसबीबी के साथ परामर्श बैठक 09 और 11 फरवरी 2019 को आयोजित की गई.

6) रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए एनएलएसआईयू, बेंगलुरु में 15 फरवरी 2019 को अंतिम बैठक आयोजित की गई/

10.2 जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थलों(बीएचएस) की घोषणा

रिपोर्ट अवधि के दौरान गोवा, केरल और मध्य प्रदेश राज्यों के द्वारा 4 जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किये गये है जो तालिका 8 में दिये गये हैं.

तालिका 9 - रिपोर्टिंग अवधि में अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस)की सूची

क्रम	राज्य	नाम(क्षेत्र)	जिला	अधिसूचना
1	गोवा	पूर्वतली राय (7300 वर्ग.मी.)	उत्तरी गोवा	Official Gazette-Govt of Goa 7/17/2019-20 GSBB /BHS 037/960 dtd 13.12.2019
2	केरल	आश्रमम (57.33 हे.)	कोल्लम	G.O (P).No.1/2019/ Envt. dtd 03.06.2019
3	मध्य प्रदेश	नारो हिल्स (200 हे.)	सतना	R-2325-1335-2017-X-2 dtd 31.10.2019
4		पातालकोट (8367.49 हे)	छिन्दवाडा	R-2320-2622-2018-X-2 dtd 31.10.2019

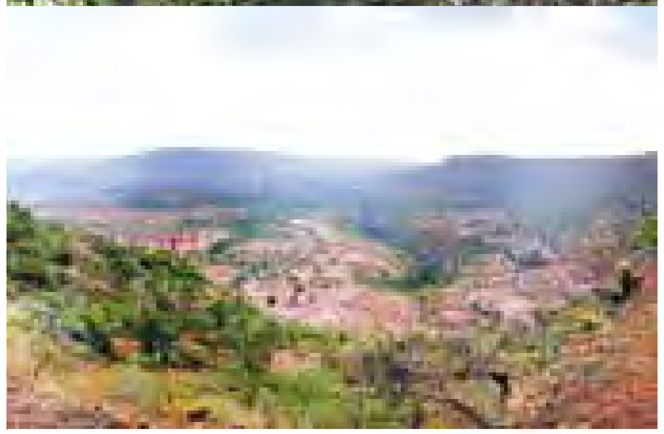

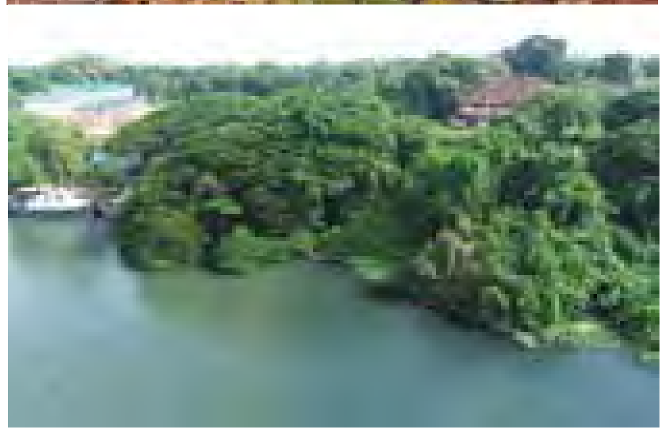

10.3 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 में केंद्र सरकार को पौधों और जानवरों की प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है क्योंकि ये प्रजातियां खतरे के करीब हैं जिनके किसी भी उद्देश्य के लिए संग्रह को रोकने या विनियमित करने और उन प्रजातियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने केलिये संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श का अधिकार है। अब तक असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दीव और बांध द्वीपों जैसे 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने बीडी एक्ट के यू/एस 38 में खतरे की प्रजातियों को अधिसूचित किया है, जिसमें कुल 159 पौधे और 175 पशु प्रजातियां शामिल हैं।

ये सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं http://nbaindia.org/content/18/21/1/ नोटिफिकेशन.html [पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो राज्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं]।

10.4 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समन्वय से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 केंद्र सरकार की शक्ति को अधिसूचित (सरकारी राजपत्र में) छूट देने का अधिकार देता है, जो अधिनियम के प्रावधानों से जैविक संसाधनों सहित किसी भी वस्तु, जैसा कि सामान्य रूप से वस्तुओं (NTACs) के बारे में होता है। एमओईएफ और सीसी, अब तक दो गजट नोटिफिकेशन यू / एस 40 वीडीओ एसओ 1352 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 2016 (385 प्रजातियां) और एसओ 3533 (ई) दिनांक 7 नवंबर, 2017 (36 प्रजातियां) जारी कर चुका है, इस प्रकार कुल 421 पौधों की प्रजातियां / जैविक संसाधन एनटीएसी के रूप में सूचीबद्ध हैं। जब एनटीएसी पर ईसी द्वारा अपनी बैठकों के माध्यम से अनुशंसित सिद्धांतों और मानदंडों के एक सेट के बाद कमोडिटी के रूप में कारोबार किया जाता है तब इस प्रकार उन्हें बीडी अधिनियम के एबीएस प्रावधानों से छूट दी जाती है।

ये सूचनाएं आनलाइन उपलब्ध हैं. साइट http://nbaindia.org/content/18/21/1/notifications.html बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 40 के अंतर्गत जैविक संसाधन सामान्य रूप से कारोबार की जाने वाली वस्तुओं के रूप में अधिसूचित हैं।

वित्त एवं लेखा

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI 600113

Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2020

(Amount in Rs)

Receipts	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19	Payments	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
I. Opening Balances:			I. Expenditures:		
			a) Establishment Expenses		
A) NBA Account			i) previous year O/s Rs. 1843221	2,31,02,218	
a) Cash in Hand	50,000	50,000	ii) Current Year Exps Rs. 22248994		4,72,67,571
b) Bank Balances:					
SB Account	1,72,46,308	1,81,38,298	b) Administrative Expenses		
B) NBF Account					
a) Bank Balances(SB A/c & Current A/c)	76,76,36,884	44,80,59,126	General Expns		
b) Fixed Deposit A/c	25,73,53,958	24,72,91,672	i) previous year O/s Rs.2468417	7,34,92,720	4,79,21,048
c) unclassified receipts Fund A/c		1,00,102	ii) current Year Exps Rs. 71032603		
Projects			iii) Purchase of Stamp	3,380	
i) NBA Assam Project A/c	1,82,73,619	1,82,29,059			
ii) GEF Bank A/c	1,70,38,603	7,30,23,718	c) Funding for awareness programs	40,73,430	81,57,412
iii) CEBPOL Bank A/c	41,67,003	81,76,382	d) Fixed Assets	12,27,030	14,14,817
			e) E- Office Development	3,30,468	
II. Grants:			f) GIA to SBB's		
a) Grant Received from (MOEF)	18,00,00,000	18,50,00,000			
			i) Strengthening of SBBs	3,41,03,870	3,08,36,517
			ii) Constitution of BMCs & PBRs Preparation	2,11,28,604	4,08,97,885
			iii) Special Compound for SC	1,99,90,000	
III. Income on Investments from					
			II) Refund of interest earned on GIA to Govt.	17,48,793	23,69,844
a) Earmarked / Endowment Funds			III. Other Payments		
			a) Miscellaneous Expenditure/ Bank Charges on NBF A/c	-626	621
			Deposits/E.M.D repaid		3,59,000
			b) ACB project		
			IV. Project A/c		
			i) CEBPOL A/c refunded on and transfer to MoEF	43,30,617	60,54,371
IV. Interest received			ii) GEF Project A/c	3,27,17,618	5,79,26,504
A) NBA A/c	28,73,184	17,48,793	iii) NBA Assam Project A/c	44,23,175	48,78,187
i) Authority Saving Bank A/c Rs.[illegible]					
ii) Interest refunded by SBB's Rs. 1985504					
B) NBA Fund A/c		1,12,03,800	V. NBA Fund A/c payments		
i) Fund A/c Savings bank interest Rs. 1,60,785	78,36,460				
ii) Interest on term Deposit (Rs 9105959-6557917.82)					
C) NBA Sweep A/c interest	3,07,92,500	70,22,010	a) Research & Development under Red Sanders	61,04,400	
D) Fixed Deposit A/c interest received/Reinvested	1,88,73,636		b) IWST for Red Sander	8,00,000	

Receipts	Current Year: 2019-20	Previous Year: 2018-19	Payments	Current Year: 2019-20	Previous Year: 2018-19
i) Fixed deposit during the year		1,03,03,487	c)Own contribution(2018-19) with Ahsasam	91,000	
V. Income to NBF A/c					
a) Application fee	25,07,156	35,29,539			
b) ABS Upfront payment	28,45,026	3,55,30,131			
c) 3% Benefit Sharing	8,58,02,101	33,58,11,258			
VI. Other Income					
c) Refund of Expenditure					
b) Sale of Newspapers					
C) RTI filing fee	1,130	120			
d) unclassified receipts A/c					
		1,54,320			
VI. Amount - Borrowed					
VII. Other Receipts/					
Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money recd.from Contractors					
Tax refund with interest	26,540	8,98,442			
GEF - NIC	60,40,000				
GEF_A/c Income Rs.	1,13,243				
VIII _ Project Account					
CEBPOL A/c	33,814	3,45,211			
GEF Project A/c	1,38,56,628	16,42,388			
NBA Asean Project A/c	5,68,540	7,17,743			
Performance Guarantee		9,750			
			VIII. Closing - Balances		
			a) Cash in hand	50,000	50,000
iClosing stock of Stamp (2,000+1,880+500)	784		i) Stamps in Hand	784	
			b) Bank Balances		
			c) i) Fixed Deposit A/c	22,79,68,671	15,73,93,639
			d) ii) Savings A/c	2,70,01,084	1,72,45,209
			e) iii Fund A/c	90,90,64,707	70,78,36,984
			f) GEF Cash & Bank A/c	87,86,715	1,70,41,602
			g) CEBPOL Bank A/c	-	41,67,003
			h) Asean Project A/c	1,14,16,877	1,52,70,810
Total	1,40,23,45,527	1,33,55,11,323	Total	1,40,23,45,622	1,33,55,11,273

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRPERSON

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2020

INCOME	Sch. No.	Current Year: 2019-20	Previous Year: 2018-19
Income from Sales / Services	12		
Grants/ Subsidies: Rs. Grants received as per (Sch.No.13) 18,00,00,000 Un utilised Grants for 2019-20(Sch.No.13) 1,42,82,700 Less: Receivable from Govt.(2018-19)(Sch.No.13) 50,00,000 Total (Sch.No.13) 19,92,82,700 Less: Capitalisation of Fixed Assets) during the year 2019-20) (-) 12,27,030 add: Interest payable to govt.(Schedule 7) + 26,36,676 Net Income from Grants 19,06,92,346	13	19,06,92,346	20,38,63,133
Fees / Subscription	14		
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		21,09,339
Other Income	18	27,670	8,96,562
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	32,79,309	
5%Administrative charges of Redsanders			
Income receivable from Govt.Gratuity & leave salary		1971401	405530
TOTAL (A)		**19,59,70,726**	**20,72,73,564**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	2,52,43,621	4,79,88,629
Other Administrative Expenses etc.	21	7,69,56,348	5,74,60,745
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	7,52,32,274	8,04,34,402
Interest	23		
Depreciation as per Schedule 8 Difference of Dep from WDV to SLM Rs. 9617916 Add: Purchase value on eliminated asset Rs. 869079 Less:Acc Dep. As per WDV Rs. 382249 Add : Dep. Added back Rs.7418		6,65,085	9,93,702 99,12,158
Payable to Government: Un-Utilized Grant Revalidation for the year 2020-21 1,66,31,303 Authority Saving Bank Interest 2019-20 26,36,676		1,92,67,979	1,63,91,039
TOTAL (B)		**19,72,55,307**	**21,31,80,676**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-12,84,581	-59,07,112
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRPERSON

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2020

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES		Sch. No.	Current Year: 2019-20	Previous Year: 2018-19
CAPITAL FUND		1	18,04,582	18,62,115
RESERVES AND SURPLUS		2		0
NATIONAL BIODIVERSITY FUND		3	116,52,52,033	105,65,34,359
SECURED LOANS AND BORROWINGS		4	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		5	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES		6	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		7	4,78,16,540	3,28,30,986
TOTAL			**121,48,73,155**	**109,12,27,460**
ASSETS				
FIXED ASSETS		8	34,60,773	28,98,010
NICSI total value of work	Rs.4028491			
Less: Work-in-Progress	Rs. 749182			
Finished Goods	Rs.3279309		33,67,809	
Unwind learning Lab total value of work	Rs.230000			
Less: Work-in-Progress	Rs. 141500			
Finished Goods	Rs.88500			0
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS		9	0	0
INVESTMENTS – OTHERS		10	0	0
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.		11	120,80,44,573	108,83,28,650
TOTAL			**121,48,73,155**	**109,12,27,460**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES		24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUN TS		25		

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRPERSON

वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक कार्य योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा भारत में जैवविविधता अधिनियम का कार्यान्वयन करने और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (सीबीडी) द्वारा दिए गए अधिदेश को पूरा करने हेतु प्रत्येक वर्ष कार्य बिन्दुओं की सूची तैयार की जाती है। वर्ष 2020-21 में राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे

1) बीएमसी के राज्य वार नेटवर्क में अभी तक की गई प्रगति की समीक्षा करना और मौजूदा प्रचालन प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण करते हुए पीबीआर तैयार करना। बीएमसी की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करना। देश के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में और उनके आस-पास कार्य नहीं करने वाली बीएमसी को पुनरुज्जीवित करने को प्राथमिकता देना।

2) राज्यों में पीबीआर तैयार करने हेतु अपनाए गए तंत्र (स्थल और राज्य विशिष्ट प्रविधि; एकत्र किए गए डाटा का प्रमाणीकरण: वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा में संशोधन किये जाने की आवश्यकता, यदि कोई हो तो इत्यादि) की समीक्षा

3) एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा का संकलन करने हेतु एकरूपात्मक प्रपत्र तैयार करने के लिए पीबीआर का डिजिटलीकरण करना।

4) बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने हेतु एसबीबी को अनुदान सहायता देने संबंधी सत्यापन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के द्वारा समस्त भारत के स्थानीय निकायों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना।

5) जैव संसाधनों, उनके संरक्षण और सतत् प्रबंधन से जुड़े लाइन विभागों के साथ-साथ वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

6) एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षा क्षेत्र, सरकारी विभागों के माध्यम से विभिन्न पणधारकों के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के संबंध में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सेमिनारों का आयोजन करना।

7) बीडी अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न पणधारकों के लिए मीडिया, प्रिंट के माध्यम से आउटरीच प्रोग्राम चलाना, तथा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

8) जैव संसाधनों जिन्हें बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत साधारण रूप से व्यापार के मदों (एनटीसी) के रूप में तथा जैव संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की सूची में आवश्यकता आधारित सुधार करना और इसको अद्यतन करना।

9) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना और इसमें सहायता करना तथा बीडी अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची को अद्यतन करना।

10) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से स्थानीय स्व शासन के कार्यकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों सहित अन्य पणधारकों के लाभार्थ जैव विविधता शासन संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

11) विषयगत मामलों पर चर्चा हेतु विशेषज्ञ समितियों की तथा निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन करना।

12) एनआईसी के सहयोग से एनबीए सचिवालय में एबीएस आवेदनों पर रियल टाइम कार्रवाई करना।

13) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लाल चंदन (रेड सैंडर्स) संबंधी रिपोर्ट में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना।

14) जैव संसाधनों और/अथवा संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्रोद्भूत और विशेष रूप से बोवाइन कैटल (गोजातीय पशु) के भ्रूण और लाल चंदन तक पहुंच से प्राप्त लाभों को लाभार्थियों के साथ साझा करना।

15) 8 अगस्त, 2019 के एनजीटी के आदेश के अनुपालन में बीएमसी की स्थापना और पीबीआर पर तैयारी की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करें।

16) प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने जैव विविधता विज्ञान कंसोर्टियम (बीएससी) द्वारा प्रस्तुत जैव विविधता और मानव कल्याण (एनएमबी और एचडब्ल्यू) पर एक राष्ट्रीय मिशन की अवधारणा का समर्थन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC), भारत सरकार और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को बीएससी की तकनीकी सहायता से डीपीआर और ईएफ़सी मेमो तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य पर्यावरण और मानव कल्याण में हमारी दबाव संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत में जैव विविधता विज्ञान को मजबूत करना है। एनबीआर एंड एचडब्ल्यू और पीबीआर प्रक्रियाओं के बीच मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है क्योंकि पीबीआर में देश भर में जैविक विविधता के संरक्षण, प्रबंधन और प्रबंधन दोनों की क्षमता है। एनबीए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर नेटवर्क की स्थापना में योगदान देगा और इन-डीप रोडमैप को विकसित करने में मदद भी करेगा और फिर यह इस ई-पीबीआर अवधारणा के कार्यान्वयन के साथ शुरू होगा।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

13.1. कानूनी और नियामक संरचना की समीक्षा

13.1.1. वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके लिए जारी मुकदमे

विधि कक्ष विभिन्न अदालतों / न्यायाधिकरणों के समक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण / पर्यावरण और वन मंत्रालय के खिलाफ मुकदमों से निपटने या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पेश होने वाले वकील की सहायता के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन और उक्त अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदेश या निर्देश से संबंधित मामलों को लेकर सक्रिय कदम उठा रहा है। विभिन्न अदालतों / न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामलों की सूची तालिका 9 में दी गई है

तालिका 10 - विभिन्न अदालतों/न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामलों की सूची

क्रमांक	अदालत/न्यायाधिकरण का नाम	मामला संख्या	संख्या
1	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	SLP 8137 of 2018	1
2	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	SLP 17471 of 2019	1
3	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	SLP 18122 of 2019	1
4	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	SLP 18141 of 2019	1
5	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	CIVIL APPEAL 5827 of 2019	1
6	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	CIVIL APPEAL 5826 of 2019	1
7	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	SLP 7951 of 2014	1
8	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	Criminal Appeal No.1720 / 2015	1
9	भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय	Criminal Appeal No.1721 / 2015	1
10	राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, चेन्नई	O A No.10/2014	1
11	जे.एम.एफ़.सी. धारवाड	C.C.579 of 2012	1
12	कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड बेंच	Crl. P.No.100616 of 2014	1
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड बेंच	Crl. P.No.100618 of 2014	1
14	राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, (पीबी –कोर्ट संख्या II) नई दिल्ली	Original Application No.347/2016	1
15	मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच	W.P. No.6968/2017	1
16	मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच	W.P No. 8880 of 2019	1
17	बांबे उच्च न्यायालय	W.P. No. 414 of 2018	1
18	केरल उच्च न्यायालय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 41622 of 2018	1
19	केरल उच्च न्यायालय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 41976 of 2018	1
20	केरल उच्च न्यायालय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 41903 of 2018	1
21	केरल उच्च न्यायालय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 42017 of 2018	1
22	कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर	W.P. No. 5546 of 2019	1
23	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (तेलंगाना), हैदराबाद	W.P. No. 23452 of 2018	1
24	बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच	W.P. No. 6360 of 2015	1
25	केरल उच्च न्यायालय, एर्णाकुलम	W.P. No. 33501 of 2019	1
26	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच	W.P. No. 6466 of 2020	1
27	भारत का उच्च न्यायालय	C.A. No. 9077 of 2019	1
28	तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबद	W.P. No. 181 of 2020	1
29	भारत का उच्च न्यायालय	W.P. (Civil) No. 852 of 2020	1
30	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती	C.C No. 3306 of 2018	1

13.1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन और आरटीआई अपीलों पर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ तालमेल में विधि कक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा विधि कक्ष (तालिका 11) की सहायता से निपटाया गया।

तालिका 11 - वर्ष 2019-20 का आरटीआई आंकडा

क्रमांक	तिमाही	कुल प्राप्त अनुरोध	कुल प्राप्त अपील	निष्पादित आरटीआई की संख्या
1.	प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून)	05	02	07
2.	द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर)	16	06	22
3.	तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर)	16	Nil	16
4.	चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च)	11	03	14
योग		48	11	59

13.1.3 समझौते का मसौदा तैयार करना

समझौतों का विधिक अनुवीक्षण, समझौता ज्ञापन और अन्य दस्तावेज विधि कक्ष के अन्य कार्यों में से एक है।

13.1.4 एसबीबी नियम

एनबीए ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए राज्य जैविक विविधता नियमों की समीक्षा की है। राज्य जैविक विविधता नियमों की समीक्षा एनबीए द्वारा या स्वप्रेरणा से की गई है या संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) द्वारा समीक्षा के लिए अनुरोध के आधार पर की गई है।

13.2 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन और पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टरों की तैयारी

बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना और स्थानीय स्तर पर राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन करके शुरू किया गया था। अब तक 29 एसबीबी में से 26 एसबीबी ने अपने राज्य नियमों को अधिसूचित किया है। 2019-2020 के अंत तक 2,49,098 बीएमसी का गठन किया गया है और 96,593 पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) देश भर में तैयार किए गए हैं और तालिका 10 में दिए गए हैं।

तालिका 12 - दिनांक 31.03.2020 के अनुसार राज्यवार गठित बीएमसी और निर्मित पीबीआर

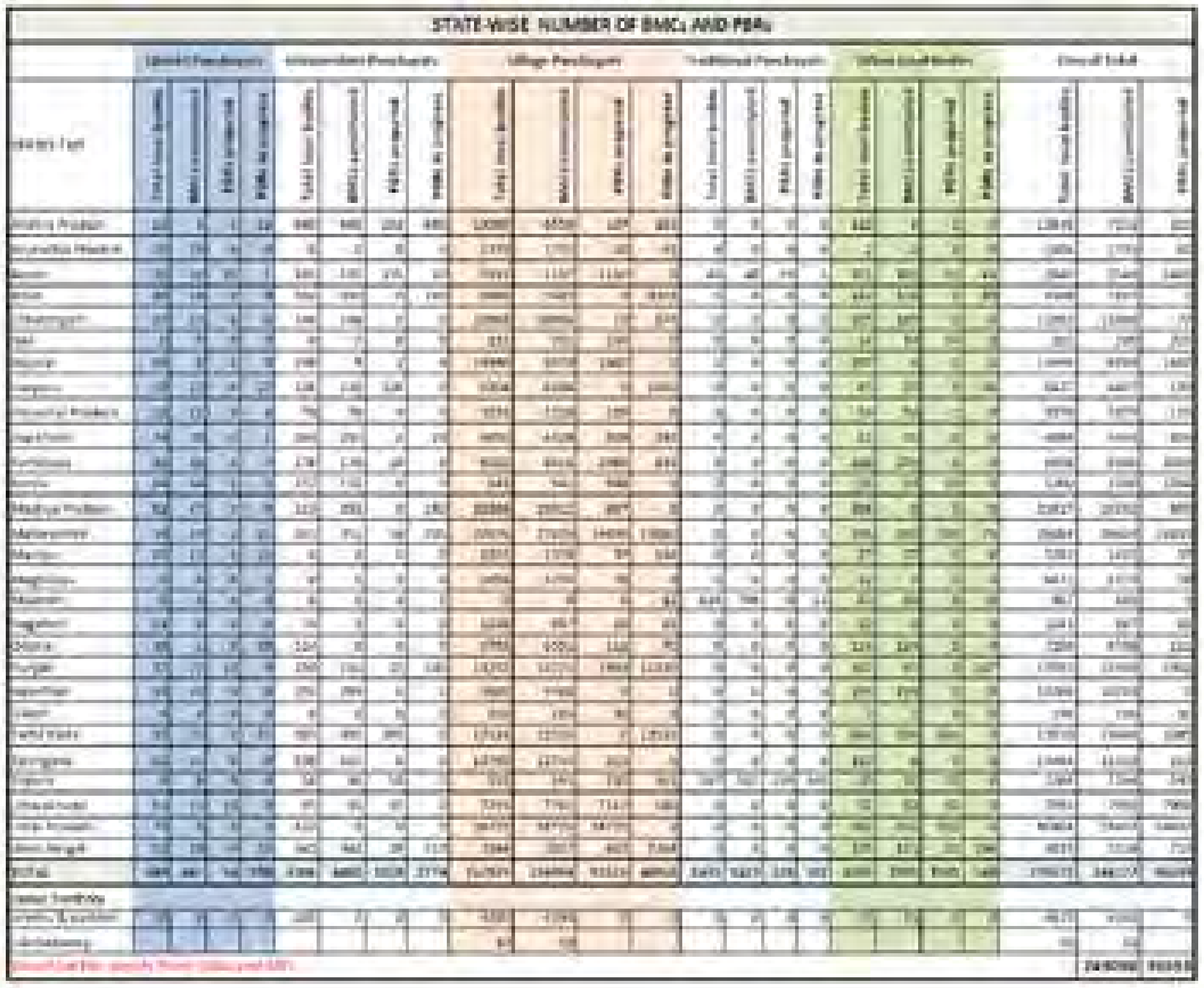

13.3 राज्य जैव विविधता बोर्ड की 14 वीं राष्ट्रीय बैठक

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की राष्ट्रीय बैठक 27 -28 नवंबर, 2019 को चेन्नई में आयोजित की गई, जो वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना के बाद हुई ऐसी बैठकों के क्रम में आयोजित चौदहवीं बैठक थी। बैठकमें 25 एसबीबी के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के विशेष आमंत्रित सदस्यों और परियोजना भागीदारों के प्रतिनिधियों सहित 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा हाल ही में पारित आदेश को ध्यान में रखकर जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) की स्थापना और पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टरों (पीबीआर) की तैयारी पर विशेष जोर देने के साथ जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में एसबीबी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (ई-पीबीआरएस) के निर्माण और जन कल्याण के अलावा जैव संसाधनों और इससे जुड़े ज्ञान को प्रभावी और सार्थक तरीके से जोड़ने के लिए प्रस्तावित ढांचे को लागू करने की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एसबीएसएपी) को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए, बैठक ने कार्यान्वयन संरचनाओं में स्पष्टता लाने, संसाधन जुटाने और समय सीमा के लिए रणनीति पर जोर दिया। इसके अलावा, बैठक ने जैव विविधता और मानव कल्याण पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा की, जो विज्ञान, नीति और समाज के ध्यान में जैव विविधता लाने और संरक्षण के लिए तैयार है। बैठक ने जैविक विविधता अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को लाने में अब तक हुई प्रगति की भी जांच की। एनबीए के परियोजना भागीदारों ने इस अवसर पर सभी सहयोगी परियोजनाओं के परिणामों और प्रमुख वितरणों को साझा किया।

13.4. एनबीए द्वारा मनाये जाने वाले महत्वपूर्ण दिन

13.4.1 एनबीए का 16वां स्थापना दिवस मनाया जाना

एनबीए का 16 वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर, 2019 को एनबीए, चेन्नई में मनाया गया। श्री हंस राज वर्मा, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, तमिलनाडु सरकार मुख्य अतिथि थे और उन्होंने एनबीए के अध्यक्ष डॉ. वि. बि. माथुर के साथ समारोह की अध्यक्षता की। श्री जस्टिन मोहन आईएफ़एस, सचिव, एनबीए ने आमंत्रितों

और प्रतिभागियों का स्वागत किया. डा. रुचि पंत प्रमुख-.प्राकृतिक संसाधन एवं जैव विविधता यूएनडीपी के द्वारा आरंभिक अभ्युक्ति की गई. श्री हंस

राज वर्मा, आईएएस, ने कार्यक्रम के दौरान एनबीए-यूएनडीपी जैव विविधता इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

13.4.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह (28 अक्टूबर -2 नवंबर, 2019)

केंद्रीय सतर्कता आयोग और एमओईएफ और सीसी के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सभी एनबीए कर्मचारियों को एक अखंडता प्रतिज्ञा दिलाई गई और कर्मचारियों को दिन और उसके महत्व के बारे में बताया गया।

13.5 परियोजनाएं / कार्यक्रम

बीडीए अधिनियम और नियमों के माध्यम से अनिवार्य कार्यों के अलावा, एनबीए को एमओईएफ और सीसी द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परियोजनाओं / कार्यक्रमों को लागू करने के कार्यों के साथ सौंपा गया है। परियोजनाओं / कार्यक्रम का उद्देश्य सीबीडी और बीडी अधिनियम के लक्ष्यों को आगे ले जाना और अनुपूरण करना है।

13.5.1 इंडो-जर्मन लाभ साझाकरण (एबीएस) साझेदारी परियोजना

इंडो-जर्मन 'एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (एबीएस) पार्टनरशिप' प्रोजेक्ट जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (बीएमजेड) की ओर से ड्यूश गेर्ल्सचफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनार्बेइट (GIZ) GmbH द्वारा भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की साझेदारी में कार्यान्वित किया गया है।

परियोजना का उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए एनबीए, चयनित राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के तहत ABS तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करना है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए के साथ साझेदारी में, राज्य स्तर पर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु के तीन एसबीबी और तीनों राज्यों में बीएमसी के साथ स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती है।

दृष्टिकोण

1. जैव विविधता अधिनियम 2002, एबीएस दिशानिर्देशों और एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल की बेहतर समझ बनाने पर विभिन्न हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना और संवाद करना
2. वाणिज्यिक या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग के आधार पर समुदायों के बीच लाभ-साझाकरण पर अच्छी प्रद्धतियों का विकास करना
3. एनबीए के लिये एबीएस प्रक्रियाओं में जैविक संसाधनों के उपयोग पर नज़र रखने के लिए एबीएस अनुवीक्षण प्रणाली (एबीएस-एमएस) और एक आईटी-सक्षम उपकरण विकसित करना.

प्रगति

I. इस परियोजना ने तीन राज्यों और उद्योग संघों में कई कंपनियों के साथ जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों पर जागरूकता पैदा करने और एबीएस अनुपालन के लिए विकसित क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किए हैं, जो 5 क्षेत्रों को कवर करते हैं: शैक्षणिक अनुसंधान, आयुष, जैव प्रौद्योगिकी, सौंदर्य प्रसाधन और बीज जो वर्ष 2018 और 2019 में परियोजना द्वारा आयोजित व्यापार संवादों के परिणाम पर बनाता है। अप्रैल 2019 - मार्च 2020 से राष्ट्रीय और राज्य भागीदारों के साथ निजी क्षेत्र के साथ संलग्न होने के एक भाग के रूप में परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई:

- 9 मई 2019: एनबीए द्वारा फेडरेशन ऑफ़ सीड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (एफ़एसआईआई) के साथ बीज सेक्टर में बिजनेस ऑपरेशंस की प्रकृति को लेकर एक मीटिंग की गई और इस तरह के सेक्टर-स्पेसिफिक अप्रोच को अपनाने की संभावना का पता लगाया।
- 16 मई 2019: देहरादून में जैव-संसाधन और संबद्ध प्रमाणन के लिए सतत व्यापार पर एक दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, एनजीओ और सरकारी विभाग के प्रतिनिधियों सहित कुल 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 13 अगस्त 2019: देहरादून में चिन्हित जैव संसाधनों के लिए एबीएस की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उत्पादकों, परियोजना, गैर सरकारी संगठन, व्यापारियों और दवा कंपनियों के तहत विभाग द्वारा चिन्हित गांवों में गठित बीएमसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैव-संसाधनों की खरीद करने वाली तीन कंपनियों को कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था- मनोरमा इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया प्रा. लि. और ह्यूमन भारत प्रा. लिमिटेड।
- 16, 22, 24 अक्टूबर 2019: जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एबीएस अनुपालन प्रक्रिया और जनादेश के बारे में सूचित करने के लिए अक्टूबर 2019 में व्यावसायिक संवाद आयोजित किए गए थे। इन एक दिवसीय व्यापार संवादों से 120 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं, कानूनी पेशेवरों, एनबीए और एसबीबी के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया था।
- 22 नवंबर 2019: उत्तराखंड में 'जैव विविधता अधिनियम कार्यान्वयन पर स्टेकहोल्डर इंगेजमेंट' पर कार्यशाला, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला आयोजन से उत्तराखंड में एक इंटरैक्टिव हितधारक इंगेजमेंट मंच विकसित करने के लिए जैव विविधता बोर्ड, व्यवसायों और नागरिक समाजों के प्रमुख अभिनेताओं को एक साथ लाया गया।

II. भारतीय जैव-स्रोतों के उपयोग पर नज़र रखने के लिए एबीएस-एमएस (निगरानी प्रणाली) आईटी उपकरण एनबीए में विकसित और स्थापित किया गया है। उपकरण दिखाने के लिए अप्रैल 2019 - मार्च 2020 से परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गई:

- 22 मई 2019: भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा जैविक विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एबीएस-एमएस का शुभारंभ किया गया। एबीएस-एमएस के पायलट टेस्ट रन ने लगभग 3 लाख उपयोगकर्ताओं (अनुसंधान और पेटेंट) की पहचान की है। इस परियोजना ने तमिलनाडु में 13 सदस्यीय प्रतिनिधियों, 10 पायलट बीएमसी, को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था।

- 30 सितंबर - 2 अक्टूबर 2019 - जर्मनी के बॉन में जैव विविधता सचिवालय में कन्वेंशन के लिए एबीएस एमएस टूल के कार्य प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया गया।

- 19 - 24 जनवरी 2020 – चेन्नई में एमओईएफ़सीसी, एनबीए, जीआईजेड और ग्लोबल यूएनडीपी परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 15 राज्य जैव विविधता बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और एनबीए के प्रतिनिधियों के साथ बेलारूस, बोत्सवाना, कैमरून, जर्मनी, केन्या, मेडागास्कर, फिलीपींस, स्पेन और यूके के प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

III. परियोजना ने एबीएस-प्रक्रिया में 10 प्रमुख हितधारकों के नॉलेज-एटिट्यूड-प्रैक्टिस (KAP) विश्लेषण के माध्यम से एक संचार रणनीति विकसित की है, जिसमें बीएमसी, जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोगकर्ता, वन विभाग, कानूनी पेशेवर आदि शामिल हैं । संचार रणनीति में दिये गये निर्देश के अनुसार कई संचार उत्पाद विकसित किए गए हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार एबीएस तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय संचार रणनीति पर चर्चा हेतु दो कार्यशालाएं चेन्नई में (8-9 जुलाई) और नई दिल्ली (11-12 जुलाई), को आयोजित की गई और ये कार्यशालाएं भारत के 23 राज्य जैव विविधता बोर्डों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की गई थीं।

IV. बीएमसी के संचालन के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यप्रणाली (TOT) का परीक्षण किया गया था और 50 जिला प्रशिक्षकों को बीएमसी कार्यों और लोगों की जैव विविधता रजिस्टरों के प्रलेखन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है। तीन राज्यों में 70 से अधिक हितधारक-विशिष्ट प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें वन, कृषि, बागवानी, व्यवसाय, शोधकर्ताओं आदि सहित बीएमसी के और जिला कार्यकर्ताओं के 2000 से अधिक लोगों की भागीदारी थी, । अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक निम्नलिखित गतिविधियां प्रशिक्षण सत्र और हितधारक विशेष प्रशिक्षण सत्र के तहत आयोजित की गईं।

- 21– 27 फरवरी 2019 | 5 मार्च अप्रैल 2019 - तमिलनाडु में 385 ब्लॉक-स्तर के बीएमसी में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दूसरी श्रृंखला फरवरी 2019 में तमिलनाडु के अन्य सभी जिलों के बीएमसी के सचिवों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू हुई। कार्यशालाओं में पूरे तमिलनाडु के 180 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 26-27 मई 2019: पौड़ी, उत्तराखंड में 'द हिमालय : एट द क्रॉस रोड्स आफ़ इन्वायरमेंट एण्ड डेवलप्मेंट' में राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग के साथ स्थानीय स्तर पर BMCs के क्षमता निर्माण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला-सह-एक्सपोज़र इवेंट का आयोजन किया गया।

- 27 जून 2019: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), एसआईआरडी और वन रेंज अधिकारियों द्वारा 31 जिलों के टीओटी कार्यक्रम के लिए चुने गए प्रशिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिन्हें बीएमसी के संचालन पर टीओटी कार्यक्रम के लिए चुना गया था। एसआईआरडी, एनआईआरडी और 31 एफआरओ द्वारा उत्सर्जित 49 प्रशिक्षकों ने अभिविन्यास कार्यशाला में भाग लिया और टीओटी कार्यक्रम में भाग लिया।

- 7 जून - 10 जुलाई 2019 : तमिलनाडु के 10 स्थानों के सभी बीडीओ के लिए 10 कार्यशालाओं की एक श्रृंखला। ये क्षमता-निर्माण कार्यशालाएँ लाइन डिपार्ट्मेंट विभाग के अधिकारियों, जिला वन अधिकारियों और बीएमसी सचिवों के लिए अन्य कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के पालन में है। कार्यशाला में 30 जिलों के 304 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 26 अगस्त 2019: प्रशिक्षकों के लिए वन प्रशिक्षण संस्थानों और संपूर्ण महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों के बीएमसी के प्रशिक्षण के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन पुणे के वन भवन में किया गया। आयोजन में 56 प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

- 26 - 29 अगस्त 2019: केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA) के साथ साझेदारी में, परियोजना ने एक सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए जैव विविधता अधिनियम और एबीएस के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए। प्रशिक्षण केआईएलए सेंटर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, अटापदी में आयोजित किया गया था। परियोजना के तहत पायलट बीएमसी के 24 सदस्यों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

- 11 अक्टूबर 2019: परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड (यूबीबी) और लॉ कॉलेज देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय के बीच 11 अक्टूबर 2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू को जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 के लिए प्रदान किए गए जैव विविधता संरक्षण और एबीएस के कानूनी प्रावधानों के बारे में लॉ कॉलेज के पाठ्यक्रम और छात्रों के क्षमता निर्माण में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। कानून के करीब 250 छात्र साक्षी के रूप में एमओयू पर हस्ताक्षर करने के समय उपस्थित थे।

- 15 अक्टूबर 2019: आईसीएफएआई लॉ स्कूल, देहरादून के कानून के छात्रों के लिए एक इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें 168 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 6 - 8 नवंबर 2019: प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण (टीओटी) का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये चेन्नई में बीएमसी पर एक 3 दिवसीय राइटशाप आयोजित किया गया।

- 7 नवंबर 2019: उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड और उत्तराखंड स्थित जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच जिला स्तर पर टीओटी के आयोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- 11 - 30 नवंबर 2019: अगस्त 2019 में प्रशिक्षण मॉड्यूल और बीमसी के सदस्यों के लिये पाइलट परीक्षण प्रशिक्षण का मसौदा तैयार करने के लिये केआईएलए के साथ परियोजना की साझेदारी हुई। टीओटी कार्यक्रम के लिये एसआईआरडी और पंचायत राज की साझेदारी में, तमिलनाडु के 32 जिलों के 50 प्रशिक्षकों को चुना गया। प्रशिक्षण-चरण 1 के लिए प्रतिभागियों को दो बैचों में विभाजित किया गया था. यह 11-13 नवंबर 2019 और 14-16 नवंबर 2019 तक आयोजित किया गया था। चरण 2 में 29-30 नवंबर 2019 तक आयोजित प्रशिक्षण के सभी प्रतिभागियों को शामिल किया गया था।

V. वन, कृषि, पशु-आधारित व्युत्पन्न (सांप का जहर) से जैविक संसाधनों के उपयोग से एबीएस का अच्छा अभ्यास केस अध्ययन एबीएस प्रक्रिया का प्रदर्शन करने और एबीएस अनुपालन के लिए मॉडल के रूप में सेवा करने के लिए विकसित किया गया है। अप्रैल 2019 - मार्च 2020 तक राष्ट्रीय और राज्य भागीदारों के साथ अच्छी प्रथाओं के विकास के एक भाग के रूप में परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईः

8-9 जुलाई 2019: चेन्नई में '' पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक संचार '' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और परियोजना द्वारा विकसित ' पहुंच और लाभ साझाकरण की अच्छी प्रक्रिया' की रूपरेखा लॉन्च की गई।

- 8 अगस्त 2019: कोडाइकनाल बीएमसी (तमिलनाडु) के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र से एक बायोरसोर्स तक पहुंचने के लिए एबीएस एप्लिकेशन (फॉर्म -1) पर चर्चा की गई और एक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया।

- 24 सितंबर 2019: राज्य में पायलट बीएमसी का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु में डीएफ़ओ के सीखने और चर्चा करने के लिए चर्चा करने और इनपुट इकट्ठा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के वन मंत्री और टीएनबीबी के अध्यक्ष ने कार्यशाला की अध्यक्षता की।

- अक्टूबर 2019 से मार्च 2020: परियोजना पीबीआर के लिए डेटा रिकॉर्ड करने के लिए अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान तमिलनाडु में 12 ब्लॉक-स्तरीय बीएमसी में पीबीआर के दस्तावेज के लिए विकास के लिए प्रसंविदा केंद्र के साथ भागीदारी की। पीबीआर प्रलेखन के पूरा होने पर 10 ब्लॉकों में पीबीआर सत्यापन बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक बैठक में स्थानीय किसानों, चरवाहों, मछुआरों, विषय विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों सहित औसतन लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

13.5.2 एशियन-भारत सहयोग परियोजना

एनबीए-अशियन सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जिसका शीर्षक ' एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के कार्यान्वयन क्षमता निर्माण' है, बायोडाइवर्सिटी पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स और स्ट्रेटेजिक प्लान को एशियन सचिवालय ने दो साल के लिए 993,333 यूएसडी की लागत के साथ मंजूरी दी थी।

वर्ष 2019 -20 के दौरान क्षेत्रीय कार्यशालाओं / बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

i. मनीला, फिलीपींस में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में त्वरित लक्ष्य 11 कार्यान्वयन पर 22-23 अप्रैल 2019 को क्षेत्रीय कार्यशाला.

ii. हनोई, वियतनाम में जैविक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों, जैव विविधता और सामुदायिक पहुंच और लाभ-साझाकरण (एबीएस) पर 18-20 जून 2019 को क्षेत्रीय अनुभव-साझाकरण कार्यक्रम।

iii. सिंगापुर में 24-26 सितंबर 2019 तक शहरी जैव विविधता और शहर जैव विविधता सूचकांक के अनुप्रयोग पर एशियन-भारत कार्यशाला आयोजित हुई. डॉ. वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, एनबीए और राष्ट्रीय परियोजना निदेशक ने डॉ. (सुश्री) क्लेरिसा सी. अरिदा, निदेशक, कार्यक्रम विकास और कार्यान्वयन, एसीबी, मनीला के साथ 25 सितंबर, 2019 को 24-26 सितंबर 2019 तक आयोजित शहरी जैव विविधता सूचकांक और शहरी जैव विविधता सूचकांक पर आसियान-भारत कार्यशाला में सिंगापुर में साइड-लाइन्स पर परियोजना की समीक्षा की।

iv. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) पर एशियन-भारत क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला : विकास, प्रबंधन और जैविक संसाधनों पर पूर्व कला साक्ष्य के एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग और एसोसिएटेड नॉलेज 6-7 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजन तय हुआ।

इन क्षेत्रीय कार्यशालाओं में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत के आसियान सदस्य राज्यों, विशेष रूप से एडब्ल्यूबीसीएनबी, एशियन सचिवालय, सीबीडी सचिवालय के सदस्यों, के रूप में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा भारत और एएमएस दोनों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय / राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ संरक्षण और अकादमियों पर काम करने वाले साझेदारों ने भी भाग लिया।

बैठक की कार्यसूची, प्रतिभागियों की सूची और बैठकों के परिणाम रिपोर्ट के रूप में एनबीए की वेबसाइट http://nbaindia.org/asean-india/events1.html पर उपलब्ध हैं:

13.6 राज्य जैव विविधता बोर्डों की गतिविधियाँ

13.6.1 आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश एसबीबी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की और 307 बीएमसी की स्थापना की। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड ने 661 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया और आंध्र प्रदेश के रेड सैंडर्स और जैव विविधता के विषय पर दो वृत्तचित्र फिल्में विकसित कीं। इस वर्ष में, एसबीबी ने तकनीकी सहायता समूहों, बीएमसी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहित 22 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। जैव विविधता के संरक्षण में उनके योगदान के लिए व्यक्तिगत संरक्षकों, संस्थानों, उद्योगों और पारंपरिक ज्ञान व्यवसायी पर कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

13.6.2 अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने 1799 बीएमसी का गठन किया, जिसमें से 1627 ग्राम स्तर पर, 2 नगर परिषद स्तर पर और 25 जिला परिषद स्तर पर थी। एपीएसबीबी ने 80 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से 31 पीबीआर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किये गये थे। बोर्ड ने धारा24 (1) के तहत 2 आवेदनों को भी मंजूरी दी। अन्य गतिविधियों के बीच, बोर्ड ने बीएमसी के लिए पीबीआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और बीएमसी की स्थापना के लिए विभिन्न जिलों में बैठकें आयोजित कीं। बोर्ड द्वारा जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीबी) 2019 भी मनाया गया

13.6.3 आसाम

असम जैव विविधता बोर्ड ने विचाराधीन वर्ष के दौरान 25 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की। 31 मार्च 2020 के अंत में, 2509 बीएमसी का गठन किया गया है और सभी बीएमसी में पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। बोर्ड ने एक किताब "असम के ट्रेडिशनल बायो-रिसोर्सेज" और कॉफी टेबल बुक "लीजेंड ऑफ होलोंगापार" प्रकाशित की थी। बोर्ड ने बीडी अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत 33 (शोध) आवेदनों को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने असम के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से बीएमसी को भी संवेदनशील बनाया है।

13.6.4 छत्तीसगढ़

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 11,301 बीएमसी में से, 11,039 बीएमसी का गठन किया गया है। अब तक 72 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। जैविक विविधता के लिए जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम के तहत डाक टिकट मुद्रित किया है। बोर्ड ने पीबीआर की तैयारी और बीएमसी की स्थापना के लिए सर्कल स्तर पर कई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

13.6.4 गोवा

गोवा एसबीबी ने वर्ष 2019 - 20 के दौरान छ: बोर्ड बैठकें (30 वीं, 31 वीं, 32 वीं, 33 वीं, 34 वीं और 35 वीं) आयोजित कीं। गोवा सरकार ने क्रम। संख्या 38 दिनांक 13 दिसंबर 2019 को सरकारी गजट में मुद्रित अधिसूचनाए सं. 7/17 / 2019-20 / जीएसबीबी/ बीएचएस / 037/960 के द्वारा गोवा ने बिचोलिम तालुका, उत्तर गोवा ने सुरला गाँव में स्थित पवित्र उपवन "पुरवाताली राय" को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया।

इसने सभी 191 ग्राम पंचायतों में बीएमसी का गठन किया है। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने 13 ब्लॉक स्तर के बीएमसी और एक जिला स्तर बीएम्ससी का गठन किया। बीएम्सी स्तर पर मान्य 205 पीबीआर में से, 126 को 2019-20 के दौरान मान्य किया गया है। राज्य बोर्ड ने गोवा की जैव विविधता पर चार फिल्में जारी की हैं। आईडीबी 2019 महोत्सव को चिह्नित करने के लिए, गोवा एसबीबी ने गोवा में सक्रिय बीएमसी द्वारा लगाए गए स्टालों पर "गोवा की जैव विविधता से हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारा भोजन" पर प्रदर्शन सह बिक्री का आयोजन किया। दो पुस्तकें, "गोवा के पारंपरिक जैव संसाधन" और पणजी की जैव विविधता की झलक जारी की गई हैं। गोवा एसबीबी ने 13 फरवरी, 2020 को गो वान परियोजना पर जागरूकता कार्यशाला और 7 फरवरी, 2020 को एक प्री-आईडीईई 2020 कार्यक्रम आयोजित किया। उत्सव का आयोजन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सरकार भारत और एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी और राज्य पर्यावरण विभाग। के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस 2019 भी मनाया गया।

13.6.5 गुजरात

बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं। इस वर्ष 11400 बीएमसी में से 3723 बीएमसी का गठन किया गया। बोर्ड द्वारा 1522 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं, जिनमें से 356 पीबीआर 2019-20 में तैयार किए गए हैं। बीडी अधिनियम की धारा 24 (1) के अंतर्गत, बोर्ड ने 6 आवेदनों को मंजूरी दी है। गुजरात फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन, गांधीनगर में गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने मनाया और वन विभाग के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

13.6.6 हरियाणा

वर्ष 2019-20 के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं अब तक 6,437 बीएमसी का गठन किया गया है। हरियाणा में, ब्लॉक स्तर पर 126 पीपीबीआर 31 मार्च 2020 तक तैयार किए गए हैं। जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करके जैविक विविधता 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उत्सव के दौरान, बीएमसी सदस्यों को जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता के सतत उपयोग और एबीएस तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से संबोधित और शिक्षित किया गया।

13.6.7 झारखंड

विचार के वर्ष के दौरान दो बोर्ड बैठकेंआयोजित की गईं। बोर्ड ने कुल 4659 भीएमसी\ में से 643 का गठन किया और 1026 पीबीआर में से 919 पीबीआर को प्रलेखित किया गया है। अन्य पहलों में, बोर्ड ने झारखंड के अध्यक्ष श्री लाल रत्नाकर सिंह द्वारा लिखित "झारखंड की जंगली पत्तेदार सब्जियां" प्रकाशित कीं। बच्चों के बीच जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईडीबी 2019 के अवसर पर बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय इंटर-स्कूल ड्राइंग, निबंध लेखन और हस्तकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। बीएमसी और पंचायत सदस्यों के लिए कुल 62 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के वन अधिकारियों के लिए एलआईएफई(LIFE), नई दिल्ली के सहयोग से रांची में "झारखंड में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन" के लिए एक राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

13.6.8 कर्नाटक

बोर्ड ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित किया। अब तक गठित 6499 बीएमसी में से 940 बीएमसी का गठन विचाराधीन है। अब तक, 2137 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। दिनांक 23/05/2019 के कर्नाटक के गजट के अंतर्गत कर्नाटक जैविक विविधता (संशोधन) नियम, 2019 अधिसूचित किया गया। ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर पीबीआर बनाने के लिए डेटा एकत्र करने और संकलित करने के

लिए समन्वयकों का मार्गदर्शन करने के लिए बोर्ड द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई थी। बोर्ड ने जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 12 आवेदनों को मंजूरी दी। आईडीबी 2019 के आयोजन के दौरान छात्रों और जनता के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बीएमसी के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, पीबीआर टीम द्वारा, राज्य के विभिन्न स्थानों पर 2019-20 के दौरान 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बोर्ड ने चार प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया और उन्हें जैविक संसाधनों के उपयोग और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों के संरक्षण, स्थायी उपयोग, और समान साझेदारी में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। उक्त अवधि के दौरान "कर्नाटक की वनस्पतियों" पर पुस्तक प्रकाशित की गई थी।

13.6.9 केरल

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और केरल सरकार ने कोल्लम जिले (जी.ओ.) (पी) संख्या 1/2019/3 जो 3 जून 2019 को जारी हुआ) अंतर्गत आश्रम क्षेत्र के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में पहली जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) को अधिसूचित किया है। इस साइट में सिज़ेगियम ट्रावैंकोरिकम के विरासत के पेड़ हैं, जिन्हें आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में शामिल किया गया है। जैविक विविधता 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस "हमारी जैव विविधता, हमारे भोजन, हमारे स्वास्थ्य" के विषय पर मनाया गया, जो राज्य में जीनोम सेवर्स और कस्टोडियन किसानों की भूमिका को उजागर करता है और फोटो-प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। 2019-20 के दौरान, ब्लॉक स्तर पर 152 बीएमसी का गठन किया गया था और 75 पीबीआर गांव और नगरपालिका स्तर पर तैयार किए गए थे। जैव विविधता संग्रहालय पर तीन जागरूकता वीडियो फिल्में विकसित की गई हैं। इस वर्ष में, पुलिस विभाग ने कार्यकारी निर्देश संख्या 2/2020 / PHQ दिनांक 03/02/2020 को बीडी अधिनियम के उल्लंघन को सत्यापित करने, संबंधित वन अधिकारियों का निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित करने के लिए अधिकृत किया। केरल राज्य सरकार ने 03/03/2020 को जारी जी.ओ. संख्या 5/2020 द्वारा तकनीकी सहायता समूह की मदद से प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के बाद स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र / पारिस्थितिक तंत्र / पेड़ों को स्थानीय रूप से जैव विविधता विरासत क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए बीएमसी को सशक्त बनाया है। केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री। पिनारयी विजयन ने 5 जून, 2019 को राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का उद्घाटन किया और राज्य में पहला बीएचएस घोषित किया। समारोह का आयोजन केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड, केरल वन विभाग और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसके अलावा बोर्ड ने वन्यजीव सप्ताह मनाया और ऑल इंडिया रेडियो ने प्रत्येक मंगलवार को जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम 'हरितवाणी' का प्रसारण किया। केएसबीबी ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस और केरल राज्य कांग्रेस के आयोजन स्थल पर प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए हैं। बोर्ड द्वारा वन रेंज अधिकारियों, न्यायिक कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। केरल एसबीबी ने 3 फरवरी 2020 को चिल्ड्रन बायोडायवर्सिटी कांग्रेस का संचालन किया है। बोर्ड ने जैव विविधता संरक्षण के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) के लिए पुरस्कार भी दिए हैं।

13.6.10 महाराष्ट्र

तीन बोर्ड बैठकें (16 वीं, 17 वीं और 18 वीं) विचार के वर्ष के दौरान आयोजित की गईं। 28,654 बीएमसी में से, 4,125 बीएमसी वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बनाई गई हैं। बोर्ड ने 31 मार्च 2020 तक 21,081 पीबीआर का दस्तावेज भी तैयार किया है, जिसमें से 21,071 पीबीआर इस अवधि के दौरान प्रलेखित किए गए हैं। एक कार्यशाला, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए टीवी पर एक टॉक शो आईडीबी 2019 के अवसर पर आयोजित किया गया था। बोर्ड ने 28 जुलाई 2019 को "विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस" भी मनाया। बोर्ड ने रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान 144 कर्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

13.6.11 मध्य प्रदेश

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, एक बोर्ड बैठक 22.05.2019 को आयोजित की गई थी। एमपीएसबीबी ने बोर्ड की नियमित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य नियमों के 17 (1), 23 (1), 23 (2), 23 (6) और 23 (7) के तहत कई अधिसूचनाएं, आदेश और संशोधन जारी किए। एमपीएसबीबी ने इस अवधि के दौरान नरो हिल्स और पातालकोट में दो जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया। 2019-20 में बोर्ड ने ग्राम स्तर पर 19020 बीएमसी, ब्लॉक स्तर पर 294 और जिला स्तर पर 47 पुनर्गठित किए। बोर्ड ने "वन्दे मातरम", "आत्मा की जैव विविधता" और "आग और हम: खेतो मे आग" शीर्षक से 3 फिल्में विकसित की हैं।

13.6.12 मणिपुर

मणिपुर एसबीबी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक बैठक आयोजित की। अब तक राज्य में 1422 बीएमसी का गठन विभिन्न स्तरों पर गांवों, स्वायत्त परिषदों और नगर पालिकाओं में पहाड़ियों और मैदानों में किया गया है। 2019-20 के दौरान 162 PBR की तैयारी चल रही है। मणिपुर एसबीबी ने आईडीबी 2019 भी मनाया।

13.6.13 मिजोरम

बोर्ड ने ग्राम स्तर पर अब तक 884 बीएमसी का गठन किया है, इनमें से 444 बीएमसी का गठन वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया है। अब तक छ: ग्राम स्तरीय पीबीआर और दो ब्लॉक स्तर के पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2019, मिज़ोरम के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित मैमित में बोर्ड द्वारा मनाया गया। आईडीबी 2019 के आयोजन के दौरान इसे स्कूली छात्रों और स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया गया और इस अवसर पर माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिजोरम और अध्यक्ष मिजोरम एसबीबी उपस्थित थे।

13.6.14 मेघालय

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने ग्रामीण स्तर पर गठित कुल 3,614 बीएमसी में से 3,329 बीएमसी का गठन किया। बोर्ड ने 132 पीबीआर भी प्रलेखित किए, जिनमें से 87 पीबीआर विचाराधीन अवधि के दौरान प्रलेखित किए गए हैं। जैव विविधता अर्थात मेघालय के पक्षी, मेघालय के ओडोनटा और मेघालय के खतरे वाली(विलुप्तप्राय) मछली, खाद्य और खेल मछली, सजावटी मछली की तीन पुस्तिकाएँ जारी की गईं। इस अवसर पर मेघालय के सभी 11 जिलों में आईईडीबी 2019 मनाया गया और एक छोटे से गाँव मावलिन्नना द्वारा "विशाल कदमों को संरक्षण" पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।

13.6.15 नागालैंड

नागालैंड राज्य जैव विविधता बोर्ड ने विचार अवधि के दौरान एक बैठक आयोजित की। 1,014 बीएमसी में से, इस वर्ष के दौरान 909 बीएमसी का गठन किया गया है। इस वर्ष के दौरान कुल 83 पीबीआर तैयार किए जा रहे हैं और 15 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। बीएमसी के महत्व और संविधान पर दो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का निर्माण और प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया गया है। नागालैंड एसबीबी ने जैव-संसाधनों और सतत उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2 वें चेंगू (ग्रेट बारबेट) उत्सव में भाग लिया। इसके अलावा, एसबीबी ने जिला स्तरीय जागरूकता सेमिनार, अभियान और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया।

13.6.16 उडीसा

कंधमाल जिले के फूलबनी वन प्रभाग के रिकिया ब्लॉक में "मंदरासरु" को 2019-20 के दौरान उडीसा का पहला "जैव विविधता विरासत स्थल" घोषित किया गया। अब तक, 6,935 बीएमसी गठित किए गए हैं और 166 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। उडीसा एसबीबी ने ओडिशा के जैवविविधता संपन्न स्थलों से सटे 13 स्कूलों के छात्रों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। सफल छात्रों को आईडीबी, 2019 के उत्सव के दौरान प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैव विविधता, बीडी अधिनियम और नियम, बीएमसी की भूमिका और उत्तरदायित्व के महत्व और उनके संबंधित ग्राम पंचायतों की जैव विविधता के प्रलेखन के बारे में समझने के लिए बीएमसी और वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी किए गए। राज्य के विभिन्न जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले इको-टूर गाइड के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा वन कर्मियों और मछुआरों के लिए ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

13.6.17 पंजाब

पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 13,427 बीएमसी और 2,244पीबीआर का गठन किया। बोर्ड ने 29 कार्यक्रमों का आयोजन करके आईडीबी 2019 मनाया, जिसमें विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों, बीएमसी, एनजीओ के सहयोग से संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, क्षेत्र का दौरा आदि शामिल थे, और उन्होंने सुखना झील में एक विशेष जैव विविधता वॉकथॉन का भी आयोजन किया। बोर्ड ने खाद्य और कृषि संगठन-तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत पंजाब कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से "कृषि जैव विविधता" पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। पीएसबीबी ने राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

13.6.18 राजस्थान

समीक्षाधीन अवधि में, राजस्थान एसबीबी ने ग्राम पंचायतों में 9,768 बीएमसी और ब्लॉक स्तर पर 289 बीएमसी, नगर पालिका स्तर पर 193 बीएमसी और जिला परिषद स्तर पर 33 बीएमसी का गठन किया। राजस्थान के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर अंतर्राष्ट्रीय विविधता 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और उदयपुर संभाग में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय अतिथि गृह के सभागार में एक विशाल कार्यशाला के रूप में किया गया। राजस्थान सरकार के सहयोग से "बीएमसी के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सांभर झील के लिए परिधीय गांवों के लिए स्थानीय युवाओं के माध्यम से पीबीआर की तैयारी" दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिसंबर 2019 के दौरान "राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना की तैयारी" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसबीबी ने जैवविविधता और संबंधित मामलों के संरक्षण के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए। एसबीबी द्वारा जयपुर शहर जैव विविधता सूचकांक का आकलन करने के लिए 16 नवंबर 2019 को एक तैयारी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

13.6.19 तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक (8 वीं बोर्ड बैठक) आयोजित की। अब तक गठित 13,604 बीएमसी में से, 12,555 बीएमसी का गठन वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया था। सभी 13604 पीबीआर को प्रलेखित किया गया है। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने तमिलनाडु में खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संचालन के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवधि के दौरान बीएचएस उप-समितियों का गठन भी किया गया।

13.6.20 तेलंगाना

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान तेलंगाना एसबीबी ने एक बोर्ड बैठक आयोजित की। राज्य भर की कुल 13,458 बीएमसी में से तेलंगाना राज्य ने वर्ष 2019-20 में 10,244 बीएमसी का गठन किया। 2019-20 के दौरान

13,245 पीबीआर में से 13,245 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। बोर्ड ने तेलंगाना की कृषि विविधता और एक जैव विविधता क्षेत्र गाइड पर एक विवरणिका भी विकसित की। पोडा थ्रुपु, एक अद्वितीय मवेशी नस्ल तेलंगाना का पहला पंजीकृत मवेशी है, जो तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड की एक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी उत्साहपूर्वक मनाया गया और सर्वश्रेष्ठ बीएमसी को सम्मानित किया गया।

13.6.21 त्रिपुरा

वर्ष के दौरान, त्रिपुरा जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई थी। राज्य ने 1264 बीएमसी का गठन किया है और 31 मार्च 2020 के अंत तक बीएमसी स्तर पर सभी पीबीआर को प्रलेखित किया है। बोर्ड ने बीडी अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत 24 आवेदनों को भी मंजूरी दी है। अब तक बोर्ड द्वारा बीएचएस के रूप में विचार के लिए पांच स्थलों की पहचान की गई है।

13.6.22 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की। बोर्ड ने 59,407 बीएमसी का गठन किया और सभी 59,407 पीबीआर को गांव और नगरपालिका स्तरों पर तैयार किया। बोर्ड ने जैव संसाधनों के उपयोग के लिए भारतीयों और भारतीय कंपनियों से धारा 24 (1) के तहत एक आवेदन को भी मंजूरी दी। आईडीबीB 2019 के अवसर पर, स्कूलों और कॉलेजों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और जैव विविधता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर "बटरफ्लाई और स्पैरो वीक" के रूप में चिह्नित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 19 मार्च 2020 तक कार के बारे में एक मोबाइल जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 सितंबर 2019 को गिद्ध जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 1 से 9 अक्टूबर 2019 तक वन्यजीव सप्ताह भी मनाया।

13.6.23 पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 2 सितंबर, 2019 को एक बोर्ड बैठक आयोजित की। दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार कुल 3837 बीएमसी में से 3388 बीएमसी गठित कर ली गई है। अब तक प्रलेखित 805 पीबीआर में से 661 बीआरबीआर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान तैयार किए गए हैं। । बोर्ड ने छात्रों के बीच जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई बायो-टूर कार्यक्रम आयोजित किए। राज्य बोर्ड ने व्यक्तियों और संस्थानों को जैव विविधता संरक्षण के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री कुशाल मुखर्जी और संस्थागत श्रेणी में कोंताई नगरपालिका बीएमसी को जाँच अवधि के दौरान जैव विविधता पुरस्कार प्राप्त हुए।

अनुलग्नक 1

प्राधिकरण के सदस्य

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष	अवधि
डॉ . वि.बि. माथुर	1 सितंबर 2019- वर्तमान तक
डॉ. ए.के जैन, आईएएस	09 फ़रवरी 2018 - 31अगस्त 2019
डॉ (सुश्री). बी. मीनाकुमारी	09 फ़रवरी 2016 - 08 फ़रवरी 2018
श्री हेम पांडेय, आईएएस	06 फ़रवरी 2014 – 08फ़रवरी 2016
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त 2011 – 05 फ़रवरी 2014
श्री एम.एफ़. फ़ारूकी, आईएएस	11 नवंबर 2010 – 11 अगस्त 2011
डॉ. पी.एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 – 3 नवंबर 2010
श्री पी.आर. मोहंती, आईएफ़एस	01 अक्तूबर 2008 – 31 दिसंबर 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएफ़एस	20 मई 2008 - 30 सितंबर 2008
डॉ. एस. कन्नैयन	20 मई 2005 - 19 मई 2008
श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस	01 अक्तूबर 2003 - 14 जुलाई 2004

अनुलग्नक 2

संगठनात्मक चार्ट

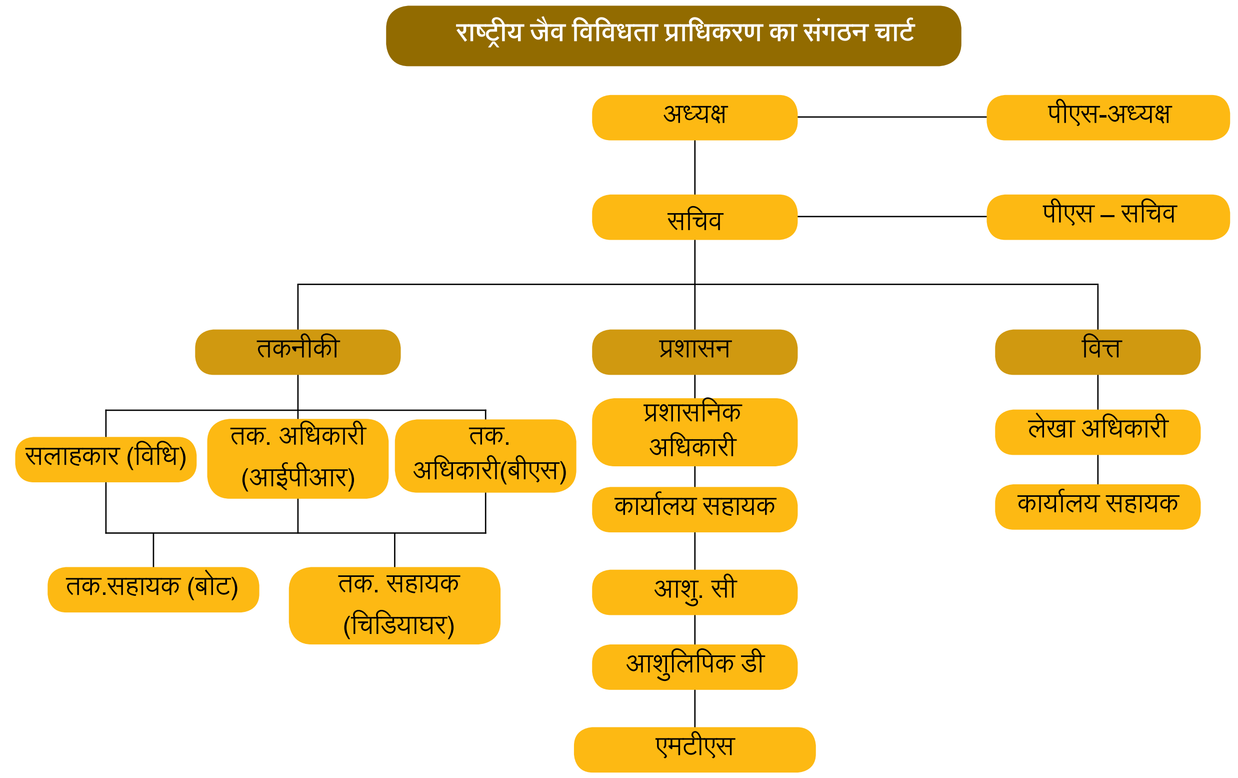

उपरोक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, एनबीए परामर्शदाताओं द्वारा नियम 12 (6) के अनुसार तकनीकी और विविध मामलों में सहायता करने के लिए समर्थित है।

अनुलग्नक 3

भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या

पद	मंजूर	भरी हुई	रिक्त
अध्यक्ष	1	1	-
सचिव	1	1	-
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-
अध्यक्ष के पीएस	1	1	-
लेखा अधिकारी	1	1	-
तकनीकी अधिकारी	2	2	-
सलाहकार (विधि)	1	1	-
सचिव के पीएस	1	-	1
कार्यालय/कंप्यूटर सहायक	2	2	-
तकनीकी सहायक	2	2	-
आशुलिपिक -सी	1	1	-
आशुलिपिक -डी	1	1	-
एमटीएस	1	1	-
योग	16	15	1

अनुलग्नक

अनुलग्नक 4

नागरिक चार्टर

1.1 दृष्टि

भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग और लोगों की भागीदारी के साथ संबंधित ज्ञान, वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए लाभ के बंटवारे की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।

1.1 मिशन (ध्येय)

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

1.3 अधिदेश

भारत के जैव संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करना और जैव संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में योगदान देना।

जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा, उसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के समान साझाकरण से संबंधित नीति और सहायता प्रदान करना।

जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशा-निर्देशों, विस्तार सामग्री के निर्माण और हितधारकों तक पहुंचने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उचित और समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करना।

अन्य देशों के व्यक्तियों या भारत के किसी भी जैविक संसाधनों या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान को बौद्धिक संपदा अधिकार देने का विरोध करने के लिए उपाय करना।

राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र विशिष्ट जैव विविधता के बारे में सलाह देना, और विरासत स्थलों को सूचित करना और उनके प्रबंधन और टिकाऊ उपयोग के लिए उपाय भी सुझाना।

अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को करना।

1.4 हितधारक

जैव विविधता एक बहुआयामी विषय है जिसमें जैविक विविधता में विविध गतिविधियों, पहलों और हितधारकों को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज के संस्थान और सिविल सोसायटी संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक बड़े पैमाने पर शामिल हैं।

1.5 प्रस्तावित सेवाएं

जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित संवर्धन। राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों, प्रायोजकों के अध्ययन और अनुकूली / परिचालन जांच और आवश्यक मार्गदर्शन के रूप में आवश्यक अनुसंधान, और आवश्यक के रूप में अध्ययनों की कमीशनिंग की गतिविधियों का समन्वय।

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। भारत में होने वाले जैविक संसाधनों तक पहुंच या संबंधित ज्ञान, अनुसंधान के परिणामों को स्थानांतरित करने के लिए, बौद्धिक

संपदा अधिकार की मांग के लिए, अनुसंधान के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए पहुँच वाले जैव-संसाधन के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

सभी हितधारकों द्वारा जैव-संसाधन तक पहुंच को सुगम बनाना और पारदर्शी तरीके से जैव विविधता के उपयोगकर्ताओं और संरक्षकों के बीच समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करना।

1.6 शिकायत निवारण तंत्र

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लोक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी है। किसी भी शिकायत को इस पते पर संबोधित किया जा सकता है -

प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,

टाइसल बायो पार्क,

5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि,

चेन्नई -600113

फोन: 044-22542777, 1075; विस्तार: 27

फैक्स: 044-22541200

ई-मेल: admn@nba.inc.in

1.7 नागरिकों / ग्राहकों से उम्मीदें

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का पालन करना और इसके तहत बनाए गए और नियमों का पालन करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना और प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान और जन मानस के समग्र हित के लिये एनबीए और एसबीबी द्वारा उपरोक्त गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग का प्रदान करना।

अनुलग्नक 5

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली110002-

DGA/ESD/EA/142/SAR/NBA Chennai/2020-21/ 820 — दिनांक 02/03/21

सेवा में,

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

विषय: Separate Audit Report on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2019-20

महोदय,

मुझे वर्ष 2019-20 के लिए National Biodiversity Authority, Chennai का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों को संगठन के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा पारित किए गए रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ से इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निदेशक (पर्या.वै.)

Annexure-I to Draft Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit

Internal Audit of NBA was last conducted by the Administrative Ministry during February 2020 covering the period from April 2017 to March 2019. The report was issued in May 2020 and it contained 12 Paras. As regards the earlier reports, 3 paras from the report for the period 2003-2009 and 8 paras from the report for the period 2015-17 are still outstanding. Thus it was evident that though Internal Audit was conducted at periodical intervals, issues pointed as far back as ten years are still outstanding.

2. Adequacy of Internal Control System

Audit found following deficiencies

- The Management Information System (MIS) was not put in place
- The following Control Registers are not maintained

i) Register of Contracts

ii) Expenditure Control Register

iii) Security Deposit Register

iv) Register to watch receipt of Utilization Certificates for the funds released

3. System of Physical Verification of Fixed assets

NBA though conducted Physical Verification of fixed assets, procedure enumerated in GFR was not followed. It was merely certified that "verification was conducted with satisfactory result". The report did not identify and list out the obsolete, irreparable and unserviceable assets. The report also did not certify that all the assets were physically available and all are in working condition. As a result, audit could not ensure the correctness of value of assets and satisfactory functioning of assets shown in the annual accounts.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was carried out for the year 2019-20. But the value of stock as shown in the Annual Accounts did not match the stock of inventories as per stock registers.

5. Regularity in payment of statutory dues

Test check revealed no outstanding statutory dues as of March 2020.

Director (EA)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31 March 2020

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2020 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of the Biological Diversity Act, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that

A. Balance Sheet

A.1. Liabilities

1.1 National Bio-diversity Fund – Schedule 3 Rs. 11652.52 lakh

Rule 20(9) of Biological Diversity Rules provided for earmarking of 5% of the Access Benefits for the Authority (Board) towards administrative and service charges. The amount however was not worked out and transferred from Fund Account to Authority Account due to non-receipt of clarifications raised on the issue. Pending final transfer of amount, the Authority did not make provisions to reflect this liability in fund account to an extent of Rs. 582.63 lakh (5 percent of Rs. 11652.52 lakh).

B. General

B.1. Grant-in-aid

During the year 2019-20, NBA received Grant-in-aid of Rs.19.43 crore. This included unspent balance of Rs.1.93 crore revalidated from previous year. Out of total available funds of Rs.19.43 crore, NBA could utilize a sum of Rs.17.77 crore leaving a balance of Rs.1.66 crore as on March 2020.

C. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Draft Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity Authority through Annexure-A for remedial/corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31st March 2020 and

b. In so far as it relates Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on Behalf of the C&AG of India

[signature]

Director General of Audit
(Environment & Scientific Departments)

Place : New Delhi

Date : 03/03/21

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

सत्यमेव जयते

SANJAY KUMAR JHA
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

DGA (ESD)/EA/142/SAR/NBA/2020-21
Dated : 03/03/21

Dear Dr. Mathur,

We have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2019-20 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 03/03/21 During the course of audit, some deficiencies were noticed as per annexure- A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards.

Yours sincerely,

Encl : As above

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

Annexure-A

A.1. During the year NBA released Rs. 81.04 lakh out of the Fund Account to various organizations for undertaking R&D projects. NBA however depicted an amount of Rs. 120.41 lakh as deduction from Fund Account including an amount of Rs. 39.37 lakh which was not released. Thus, there is understatement of Fund Balance (Schedule 3) to an extent of Rs. 39.37 lakh and overstatement of Provision under Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) to this extent.

A.2. Assets

2.1 Fixed Assets – Schedule 8 - Rs. 34.61 Lakh

(a) NBA transferred 10 No. of Assets to Marine Biology Research Centre, Zoological Survey of India, Chennai during 2019-20. This transfer of assets however was not reflected in the Assets Schedule. Further, E-Auction was also conducted during 2019-20 and items like Computers, Water Heater, Generator, etc. were disposed. This sale was also not reflected in the Annual Accounts of NBA for the year 2019-20. The Assets that have been transferred or disposed have not been removed from the Assets Schedule. The profit/loss on sale of fixed assets has also not been worked out and reflected in the accounts. To this extent, the accounts do not reflect true picture.

(b) Rs. 15000 realized on E-Auction has not been taken as miscellaneous income. Instead it has been taken on the credit side of the Subscription Expenses towards News papers and Magazines, resulting in reduction of expenditure under Other Administrative Expenses to an extent of Rs. 15000.

2.2 Current Assets – Schedule 11 – Rs. 11985.65 lakh

The value of stock of inventories as at the end of March 2020 as per the Stock Registers was Rs. 1.92 lakh. As against this an amount of Rs. 1.32 lakh was shown under Current Assets. This has resulted in understatement of inventories to an extent of Rs. 0.60 lakh

2.2.2 Sundry Debtors – Rs. 12.97 lakh

The amount of Rs. 12.50 lakh shown as Security Deposit included two minus items (Rs. 160000 and Rs. 7500 totaling Rs. 167500). Audit scrutiny revealed that NBA paid Rs. 2.40 lakh as deposit in the year 2011-12. NBA received back Rs. 1.60 lakh during the year 2014-15 after adjustment of expenditure of Rs. 80000. Instead of clearing the outstanding entry, NBA continued to exhibit both the entries (Rs.2.40 lakh and Rs. 1.60 lakh (minus entry)) under Security Deposit resulting in overstatement of Security Deposit to an extent of Rs. 80000.

Further, Rs. 7500 was the amount recovered from an officer towards telephone expenses in 2016. Audit scrutiny revealed that NBA showed this amount as minus entry under Security Deposit, while there was no outstanding deposit. This has resulted in incorrect depiction and resultant reduction of Security Deposit to an extent of Rs.7500.

The net effect of the above entries is that Sundry Debtors are overstated to an extent of Rs. 72500.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Expenditure

B.1.1. Establishment Expenses – Schedule 20 –Rs. 252.44 lakh and Other Administrative Expenses – Schedule 21 – Rs. 768.56 lakh

(a) Salaries and Wages – Rs. 169.33 lakh
(b) Allowances and Bonus – Rs. 4.03 lakh
(c) Leave Travel Concession – Rs. 0.51 lakh
(d) Reimbursement of Medical Expenses – Rs. 3.66 lakh
(e) Travel and Transfer Tour Expenses - Rs. 33.68 lakh
(f) Repairs and Maintenance – Rs. 2.31 lakh
(g) Postage, Telephone and Communication Charges– Rs. 5.78 lakh
(h) Printing, Publications, Stationeries and Consumables – Rs. 4.75 lakh
(i) Travelling and Conveyance Expenses Rs. 72.25 lakh
(j) Funding to Projects for Programmes – Rs. 22.30 lakh
(k) E-Office Development – Rs. 5.30 lakh

The following incorrect adjustments/bookings and exhibition in the Income and Expenditure Statement were observed which had an impact on the above sub-heads of Income and Expenditure Statement.

1. An amount of Rs. 16201 which was recovery of Travel Advance was adjusted under Allowances and Bonus instead of Travel and Tour Expenses resulting in overstatement of Rs. 16201 under the Travel and Tour Expenses and understatement of Allowances and Bonus to this extent.

2. Recovery of Telephone Expenses amounting to Rs. 3000 has been adjusted under Allowances and Bonus Head (Establishment Expenses) instead of under Postage, Telephone and Communication Charges (Other Administrative Expenses). To this extent, Establishment Expenses are understated and Administrative Expenses are overstated.

3. Computer and Motor Cycle Advance paid during the year amounting to Rs. 46250 and that recovered during the year to an extent of Rs. 56250 were both adjusted under Allowances and Bonus. They have also been exhibited in the Current Assets. This sort of depiction has resulted in overstatement of expenditure to an extent of Rs. 10000. As a result, the Capital Fund is understated.

4. LTC expenditure shown under Establishment Expenses was Rs. 51352. NBA booked Rs. 3570 relating to LTC in T.A/D.A. to External Members under Domestic Travel Expenses. Further NBA received Rs. 25552 as Leave Salary Contribution, which it deducted from LTC instead of Salaries head. Thus, the actual amount incurred towards LTC during the year was Rs. 80474.The incorrect booking of expenditure as shown above resulted in understatement of LTC Expenses to an extent of Rs. 29122, overstatement of Travel and Conveyance Expenditure to an extent of Rs. 3570 and overstatement of Salaries and Wages an extent of Rs. 25552.

5. Medical Expenses of Rs. 3.66 lakh includes Rs. 6421 paid towards Reimbursement of Briefcase charges and News Papers charges, which should have gone to Administrative Expenses. Thus, Medical Expenses are overstated and Administrative Expenses are understated to this extent.

6. Current year outstanding salary was Rs. 16.82 lakh. As against this, Rs. 12.94 lakh has been added to Salaries and Wages resulting in understatement of outstanding salaries to an extent of Rs. 3.88 lakh. Instead this amount was added and shown as outstanding under Allowances and Bonus. While the actual outstanding Allowances and Bonus for the year was Rs. 0.08 lakh, Rs. 3.96 lakh has been shown resulting in overstatement of Allowances and Bonus to an extent of Rs. 3.88 lakh.

Last year Salaries paid during the current year was Rs. 14.22 lakh. As against this, NBA showed Rs. 11.34 lakh resulting in lesser deduction of Rs. 2.88 lakh under Salaries and Wages. Instead, it was deducted from Allowances and Bonus. While outstanding allowances for previous year, paid during the current year was Rs. 1.04 lakh, NBA showed Rs. 3.92 lakh.

The net effect of this incorrect adjustment is that the Salaries and Wages are understated to an extent of Rs. 0.99 lakh. Allowances and Bonus Head is overstated to this extent.

7. An amount of Rs. 5.30 lakh incurred towards E-Office Development (which is Capital in nature) has been shown under Schedule 21 - Other Administrative Expenses. E-Office Development was also shown under Fixed Assets in Balance Sheet. NBA reported that Rs. 5.30 lakh shown as E-Office Development under Other Administrative Expenses was an incorrect one and that this amount was Repairs and Maintenance expenditure, which was wrongly named and shown separately as E-Office Development. This sort of depiction has resulted in understatement of Repairs and Maintenance Expenditure and incorrect depiction of E-Office Development on the Expenditure side.

8. Funding made to projects and Programmes during the year 2019-20 was exhibited as Rs. 22.30 lakh as against Rs. 34.76 lakh, which was the actual expenditure for the year. This has resulted in understatement of Expenditure and resultant overstatement of Capital Fund to an extent of Rs. 12.46 lakh.

9. The expenditure for Repairs and Maintenance during the year as per ledger was Rs. 26.57 lakh. As against this, NBA showed an amount of Rs. 23.71 lakh in the expenditure side of Income & Expenditure under Schedule 21- Other Administrative Expenses, leading to a difference of Rs. 2.86 lakh. Scrutiny revealed that NBA adjusted various entries such as Office Expenses, Travel Expenses, etc. not relating to Repairs and Maintenance from this head. This has resulted in incorrect depiction of Repairs and Maintenance expenses and also other expenses such as Office Expenses, Travel, etc.

B.2 Income

B.2.1 Other Income – Schedule 18 – Rs. 0.28 lakh

NBA received an amount of Rs. 0.27 lakh being refund of Income Tax from Income Tax Department. This refund pertained to Income Tax deducted by the bankers from interest amount earned on Authority Account and Fund Account. Instead of crediting the amount respectively to Fund Account and Authority Account by identifying correct amount of Income tax earlier deducted, NBA depicted the entire amount as other income in the Income and Expenditure Account. This led to overstatement of income to an extent of Rs. 0.27 lakh. The cash balance under fund account and authority account is also understated.

C. Receipts and Payments Account

C.2 Payments

C.2.1 Payment Side - General Expenses of Rs. 734.93 lakh

The General Expenses as per Ledger is Rs. 740.23 lakh whereas an amount of Rs. 734.93 lakh has been shown on the Payment Side leading to a difference of Rs. 5.30 lakh. This amount relates to expenditure incurred on E-Office Development, which has been included in the Fixed Assets of Rs. 12.27 lakh and again shown separately also against E-Office Development. This sort of depiction has resulted in understatement of General

Expenses and double depiction of E-Office Development expenses of Rs. 5.30 lakh (once included in Fixed Assets and again shown separately).

D.1 Assets Register

As per the provisions contained in General Financial Rules, Assets Register in the prescribed format is to be maintained and Physical Verification of Fixed Assets is to be conducted every year and outcome of the verification recorded in the register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account. Audit observed that NBA possessed Assets worth Rs. 34.60 lakh (Net Block) as at the end of March 2020. It however did not maintain Assets Register showing the category-wise details in the format prescribed in General Financial Rules, with the result that audit could not vouch for the correctness of figures projected in the Accounts.

D.2 Diversion of Funds

Ministry of Finance, Department of Expenditure, opened a new object head "Grants for creation of Capital Assets". During 2019-20, NBA received total grant of Rs. 19.43 crore as Grant-in-aid which included an amount of Rs. 25.00 lakh towards E-Office Development. No funds were received under the object head "Grant-in-aid – Creation of Capital Assets". NBA however diverted an amount of Rs. 6.97 lakh towards purchase of Assets during the year. This led to diversion of funds from one object head to other without the authority.

D.3 Bank Reconciliation Statement

Bank Reconciliation Statement in respect of Authority Account revealed that there were three cheques issued during July and August 2019 valuing Rs. 28361which have become time barred. NBA did not write back this expenditure. As regards the Bank Reconciliation Statement of Fund Account, four number of deposits received in bank during May 2019 to September 2019 have are not identified and taken to cash book as of July 2020.

D.4 Utilization Certificates

NBA released grants to an extent of Rs. 7474.73 crore to 1023 State Biodiversity Boards (SBBs) and Non-SBBs for the period upto 2018-19 and grants worth Rs. 803.69 lakh to 98 SBBs and Non-SBBs during 2019-20. NBA however received UCs for an amount of Rs.5615.52 lakh from 934 SBBs and Non-SBBs. UCs from 227 SBBS and Non-SBBs for a value of Rs. 3135.59 lakh were pending. This consisted of pending UCs from 171 SBBs and Non-SBBs for a value of Rs. 2366.70 lakh for grants released up to 2018-19. Year-wise break up showed that the certain UCs were pending from as far back as 2005-06 onwards. The year-wise details of UCs pending are tabulated below.

Year	SBBs		Non-SBBs		Total	
	No.	Value (Rs.)	No.	Value (Rs.)	No.	Value (Rs.)
2005-06	1	500000			1	500000
2007-08	-	-	2	316000	2	316000
2008-09	2	1340000	-	-	2	1340000
2009-10	1	500000	1	50000	2	550000
2010-11	2	20000	-	-	2	20000
2011-12	2	1300000	4	600000	6	1900000
2012-13	4	2533931	1	224700	5	2758631
2013-14	19	40758651	2	320283	21	41078934
2014-15	33	45137228	3	1622500	36	46759728
2015-16	16	21922770	1	250000	17	22172770
2016-17	23	42123146	3	671500	26	42794646
2017-18	17	34496920	4	1345000	21	35841920
2018-19	22	39689064	8	948500	30	40637564
Total	142	230121710	29	6348483	171	[illegible]

As per the provisions contained in General Financial Rules, grants for the subsequent years should be released only after Utilization Certificates in respect of grants of preceding financial year are submitted. NBA however released subsequent grants though UCs for earlier grants are still pending, thus violating the provisions of GFR.

D.5 Liabilities

The liabilities include EMD/SD deposit of Rs. 8.43 lakh, out of which deposits worth Rs. 6.52 lakh were more than 5 years old.

Sd/- 3/3/2021

Director (EA)

Credits for All Natural Photos : **Dr. S. Rajesh Kumar**

Design & Printed At :

Aparna Graphic Arts

Chennai - 600 002.

Mob: 9941011317, 9940443632

एनबीए के बारे में

भारत का जैविक विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में की गई थी। एनबीए एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है और यह भारत सरकार के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण के लिए सुविधा, विनियामक और सलाहकार का कार्य करता है।

जैव विविधता अधिनियम (2002) में जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने पर केंद्रित एनबीए के साथ विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम का कार्यान्वयन अनिवार्य है और धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकारों को सलाह देना और ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए उपाय करना शामिल है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस प्रकार की सलाह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों के समकक्ष साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन होती है।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोधों को प्रदान करके विनियमित भी करता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) जैविक संरक्षण के संवर्धन, स्थायी उपयोग और प्रलेखन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निवासों का संरक्षण, भूमि की किस्मों, लोक किस्मों और खेती का संरक्षण, पालतू पशुओं का स्टॉक और नस्लें और जानवरों और सूक्ष्मजीवों के ज्ञान से जैविक विविधता के लिए संबंधित ज्ञान शामिल है।

चेन्नई, तमिलनाडु में अपने मुख्यालय के साथ एनबीए एक ऐसे ढांचे के माध्यम से अपना अधिदेश देता है जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियां शामिल हैं। एनबीए ने अपनी स्थापना के बाद से 29 राज्यों में एसबीबी के निर्माण का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 249098 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान की है।

National Biodiversity Authority

5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113
Tel: +91-44-2254 1805 I Fax: +91-44-2254 1073

e-mail: chairman@nba.nic.in

www.nbaindia.org